

CABLE TV: EMERGING MARKET SCENARIO

TRAI issues this Consultation paper to seek the comments/views of the stakeholders on monopoly/market dominance/competition issues in cable TV services.

MONOPOLY/MARKET DOMINANCE/COMPETITION ISSUES IN THE CABLE TV INDUSTRY

REGULATING MONOPOLY/MARKET DOMINANCE/COMPETITION IN CABLE SERVICES

The regulatory framework has improved the level-playing field as every distributor gets the broadcasters' signals in a non-discriminatory manner. Furthermore, with the improving technologies and easy access to bandwidth, it is possible for any MSO to expand services in different cities/regions. The MSO registration has been kept simple with any entity, including a proprietorship can register as MSO. Therefore, there are no entry barriers in the cable television distribution market. However, if it is felt that there could be a possibility of market dominance by few selected players, then there may be a case for specific rules/regulations to address the same. Then, the issue for consideration will be on the methodology and prescribed threshold/ benchmarks to identify and address the issues. Same are discussed in subsequent section.

It is pertinent to note that the Department of Telecommunications (DoT) from time to time has issued Guidelines for Merger and Acquisitions for the telecom sector. The summary of guidelines released by DoT in 2004, 2008, and 2014, include the following:

- ◆ **2004 Guidelines:** These guidelines provided that prior approval of DoT shall be necessary for any merger of licences. Further, merger of licences was permitted subject to the condition that there are at least three operators in that service area for that service, consequent upon such merger. In addition to that, no

केबल टीवी : उभरते बाजार परिदृश्य

ट्राई केबल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व/प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचार प्राप्त करने के लिए यह परामर्श पत्र जारी करता है।

केबल टीवी उद्योग में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व/प्रतिस्पर्धा के मुद्दे

केबल सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व/प्रतिस्पर्धा को विनियमित करना

विनियामक ढांचे ने समान अवसर प्रदान किये हैं क्योंकि प्रत्येक वितरक को प्रसारकों के सिगनल गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से मिलते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीकियों और बैंडविड्थ तक आसान पहुंच के साथ किसी भी एमएसओ के लिए विभिन्न शहरों/क्षेत्रों में सेवाओं का विस्तार करना संभव है। एमएसओ पंजीकरण को किसी भी इकाई के साथ सरल रखा गया है जिसमें एक प्रोपराइटरशिप एमएसओ के रूप में पंजीकृत हो सकती है। इसलिए, केबल टेलीविजन वितरण बाजार में कोई प्रवेश बाधा नहीं है। हालांकि अगर यह महसूस किया जाता है कि कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों द्वारा बाजार के प्रभुत्व की संभावना भी हो सकती है तो इसे संबोधित करने के लिए विशिष्ट नियमों/विनियमों का मामला हो सकता है। फिर, मुद्दों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए कार्य प्रणाली और निर्धारित सीमा/बेंचमार्क पर विचार किया जायेगा। इस पर आगे के खंडों में चर्चा की जायेगी।

यह ध्यान देने योग्य है कि दूरसंचार विभाग (डॉट) ने समय-समय पर दूरसंचार क्षेत्र के विलय और अधिग्रहण के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। डॉट द्वारा 2004, 2008 और 2014 में जारी दिशा-निर्देशों के सारांश में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ◆ **2004 का दिशानिर्देश:** इन दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि लाइसेंस के किसी भी विलय के लिए दूरसंचार विभाग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा। इसके अलावा लाइसेंस के विलय की अनुमति इस शर्त के अधीन दी गयी थी कि ऐसे विलय के परिणामस्वरूप उस सेवा के लिए उस सेवा क्षेत्र में कम से कम तीन

merger was allowed when market share of service providers was crossing 67% in the given service area.

- ◆ **2008 Guidelines:** The condition of market share was brought down from 67% to 40% . However, these guidelines provided that there shall be at least 4 service providers in the service area consequent upon that merger. Guidelines also provided that in case consequent to merger of licences in a service area, the licensee becomes a “Significant Market Power” (SMP) post-merger, then the extant rules and regulations applicable to SMPs would also apply to the merged entity.
- ◆ **2014 Guidelines (refer Appendix III):** These guidelines provided that service providers need to notify the Central Government for any proposal of M&A which has been filed before National Company Law Tribunal (NCLT). There were no provision relating to maximum market share of service provider or minimum number of service provider which needs to be there in any service area post M&A. However, limits on the subscriber base, AGR and spectrum holding were put on the resultant entity.

Further, as per the provisions of section 11 (1)(a)(iv) of the TRAI Act 1997 (as amended) the Authority’s functions include making recommendations, either suo motu or on a request from the licensor, on the following:

“... (iv) measures to facilitate competition and promote efficiency in the operation of telecommunication services so as to facilitate growth in such services...”

In view of the above, one may opine that there should be similar guidelines in the Cable TV sector as well, so as to regulate monopoly/market dominance by service providers.

It can be argued that because of a larger size, a MSO is able to reap the benefits of economies of scale and pass on the benefits to the customers. In practice such dominance in certain markets may lead to non-competitive practices. In such scenario, it is necessary to compare the loss in consumer welfare due to inadequate competition with the gains accrued from the economies of scale. If the consumer loss outweighs the economic benefits, regulatory measures will be necessary to maintain and promote competition. In this backdrop the question arises whether there is a need for imposing restrictions on MSOs to prevent monopolies/market dominance with an aim to ensure fair competition? In a well-functioning competitive market, where firms are

ऑपरेटर होंगे। इसके अलावा किसी भी ऐसी विलय को अनुमति नहीं दी गयी जहां कि दिये गये सेवा क्षेत्र में सेवा प्रदाताओं की हिस्सेदारी 67% पार कर रही थी।

- ◆ **2008 का दिशानिर्देश:** बाजार हिस्सेदारी को 67% से घटाकर 40% कर दिया गया। हालांकि इन दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि उस विलय के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र में कम से कम 4 सेवा प्रदाता होंगे। दिशानिर्देश यह भी प्रदान करते हैं कि सेवा क्षेत्र में लाइसेंसों के विलय के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी विलय के बाद ‘महत्वपूर्ण बाजार शक्ति’ (एसएमपी) बन जाता है, तो एसएमपी पर लागू मौजूदा नियम और विनियम भी विलय की गयी इकाई पर लागू होंगे।
- ◆ **2014 का दिशानिर्देश (परिशिष्ट III देखें):** इन दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सेवा प्रदाताओं को एमएंडए के किसी भी प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार को सूचित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष दायर किया गया है। सेवा प्रदाता की अधिकतम बाजार हिस्सेदारी या सेवा प्रदाता की न्यूनतम संख्या से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था जो कि एमएंडए के बाद किसी भी सेवा क्षेत्र में होना आवश्यक है। हालांकि, ग्राहक आधार, एजीआर और स्पेक्ट्रम होल्डिंग की सीमा परिणामी इकाई पर लगायी गयी थी।

इसके अलावा, ट्राई अधिनियम 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) (iv) के प्रावधान के अनुसार प्राधिकरण के कार्यों में निम्नलिखित पर स्वप्रेरणा से या लाइसेंसकर्ता के अनुरोध पर सिफारिशें करना शामिल है:

‘... (iv) के संचालन में प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के उपाय ताकि ऐसी सेवाओं में वृद्धि को सुगम बनाया जा सके...’

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कोई यह कह सकता है कि केवल टीवी क्षेत्र में भी इसी तरह के दिशानिर्देश होने चाहिए, ताकि सेवा प्रदाताओं द्वारा एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व को विनियमित किया जा सके।

यह तर्क दिया जा सकता है कि बड़े आकार के कारण एक एमएसओ बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था के लाभों को प्राप्त करने और ग्राहकों को लाभ देने में सक्षम है। व्यवहार में कुछ बाजारों में इस तरह के प्रभुत्व से गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार हो सकते हैं। ऐसे परिदृश्य में बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से अर्जित लाभ के साथ अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ता कल्याण में हानि की तुलना करना आवश्यक है। यदि उपभोक्ता हानि आर्थिक लाभ से अधिक है तो प्रतिस्पर्धा को बनाये रखना और बढ़ावा देने के लिए नियामक उपाय आवश्यक होंगे। इस पृष्ठभूमि में प्रश्न उठता है कि क्या निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व को रोकने के लिए एमएसओ पर प्रतिबंध

CONSULTATION PAPER

competing on fair terms and there are no artificially erected barriers of entry, there is no need to impose restrictions. However, if there is little or no competition or in case where barriers to entry exist, there is the distinct possibility of the abuse of dominance by the existing service provider(s).

As discussed in Chapter 1, TRAI sent its recommendations to MIB on Monopoly/Market dominance in the cable TV services on 26th November 2013. The Authority assessed the scenario prevailing in the cable TV distribution market at that time and observed the following:

- ◆ The size of markets catered to (across States, cities and even localities) by a MSO determines its market power and influence. One of the ways in which MSOs have tried to expand and increase their size (and influence) was by buying out LCOs and smaller MSOs. The joint venture/subsidiary model had emerged as a result of mergers and acquisitions (M&A) of LCOs/MSOs by large MSOs. The MSOs had varying levels of ownership interest in these LCOs. Typically, MSOs provided more favorable terms and financial assistance to joint venture companies and subsidiaries. By way of acquisition, joint venture or subsidiary, some MSOs had been increasing their presence and size leading to a situation of market dominance.
- ◆ There were cases where the dominant MSOs are misusing their market power to create barriers of entry for new players, providing unfair terms to other stakeholders in the value chain and distorting the competition. MSOs with significant reach (i.e., a large network and customer base) were leveraging their scale of operations to bargain with broadcasters for higher discount on content price and were also demanding higher carriage and placement fees. Such MSOs were able to exercise market power in negotiations with the LCOs on the one hand, and with the broadcasters on the other.
- ◆ Large MSOs, by virtue of better negotiating power



लगाने की आवश्यकता है? एक अच्छी तरह से काम कर रहे प्रतिस्पर्धी बाजार में जहां फर्म उचित शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रवेश के लिए कृत्रिम रूप से खड़ी बाधाएँ नहीं हैं, प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि अगर बहुत कम या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है या ऐसे मामले में जहां प्रवेश के लिए बाधाएँ मौजूद हैं, मौजूदा सेवा प्रदाता (ओं) द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग की स्पष्ट संभावना है।

जैसाकि अध्याय 1 में चर्चा की गयी है कि ट्राई ने 26 नवंबर 2013 को केवल टीवी एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व पर एमआईवी को अपनी सिफारिशें भेजी। प्राधिकरण ने उस समय केवल टीवी वितरण बाजार में प्रचलित परिदृश्य का आकलन किया और निम्नलिखित देखा:

- ◆ एक एमएसओ द्वारा (राज्यों, शहरों और यहां तक कि इलाकों में) बाजार का आकार उसकी बाजार शक्ति और प्रभाव को निर्धारित करता है। जिन तरीकों से एमएसओ ने अपने आकार (और प्रभाव) का विस्तार करने और बढ़ाने की कोशिश की है, उनमें से एक एलसीओ और छोटे एमएसओ को खरीदना था। संयुक्त उद्यम/सहायक मॉडल बड़े एमएसओ द्वारा एलसीओ/एमएसओ के विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) के परिणामस्वरूप उभरा था। इन एलसीओ में एमएसओ के स्वामित्व हित के विभिन्न स्तर थे। आमतौर पर एमएसओ ने संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहायक कंपनियों को अधिक अनुकूल शर्तों और वित्तीय सहायता प्रदान की। अधिग्रहण, संयुक्त उद्यम या सहायक के माध्यम से कुछ एमएसओ अपनी उपस्थिति और आकार में वृद्धि कर रहे थे जिससे बाजार के प्रभुत्व की स्थिति पैदा हो गयी थी।

- ◆ ऐसे मामले थे जहां प्रमुख एमएसओ नये खिलाड़ियों के प्रवेश की बाधाएँ पैदा करने के लिए अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारकों को अनुचित शर्तें प्रदान कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा को विकृत कर रहे हैं। महत्वपूर्ण पहुंच वाले एमएसओ (यानि एक बड़ा नेटवर्क और ग्राहक आधार) सामग्री की कीमत पर अधिक छूट के लिए प्रसारकों के साथ सौदेबाजी करने के लिए अपने संचालन के पैमाने का लाभ उठा रहे थे और उच्च कैरिज व प्लेसमेंट शुल्क की भी मांग कर रहे थे। ऐसे एमएसओ एक ओर एलसीओ के साथ और दूसरी ओर प्रसारकों के साथ बातचीत में बाजार शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम थे।
- ◆ बड़े एमएसओ, प्रसारकों के साथ बेहतर बातचीत की शक्ति और

with broadcasters and charging higher carriage and placement fee from broadcasters, were in a position to offer better revenue share to LCOs. They, therefore, could incentivize LCOs to move away from smaller MSOs and align with them. Such MSOs used their market power to provide unfavorable terms or made it difficult for the broadcasters to gain access to the distribution network for reaching the customers. There were instances where a dominant MSO made it difficult for some broadcasters to have access to its distribution network for carrying content to consumers. Blocking content selectively also became an obstacle to promoting plurality of viewpoint.

- ◆ In a growing TV channel distribution market, if Mergers and Acquisitions (M&A) among competing MSOs were left un-regulated by the sector regulator, then there was a distinct possibility that such M&A might transform even competitive markets into monopolistic or oligopolistic market structures, where only a few firms dominate and markets become highly concentrated. In such cases, dominant MSOs might misuse their market power to create barriers of entry for new players, provide unfair terms to other stakeholders in the value chain and distort competition. Further, it might also lead to selective blocking of content and become an obstacle to promoting plurality of viewpoints.

In view of above, the Authority in its recommendations dated 26th November 2013 concluded that for facilitating competition, promoting efficiency in the operation of the TV channel distribution market and protecting the interests of consumers, the issue of monopoly/market dominance in the television distribution sector need to be addressed.

It is worth noting that as per the policy guidelines for downlinking of television channels issued by MIB, a broadcaster cannot provide its television channels directly to consumers. Any broadcaster seeking downlinking permission from MIB, must provide Satellite TV Channel signal reception decoders either to MSOs or a DTH operator or to IPTV Service Provider or to a HITS operator.

Even with the presence of other mediums of distribution, MSOs play a significant role in the television channel distribution because of its uniqueness in offering local channels. Therefore, one may opine that the issue of monopoly/market dominance in cable TV services has significance.

प्रसारकों से उच्च कैरिज और प्लेसमेंट शुल्क वसूलने के कारण, एलसीओ को बेहतर राजस्व हिस्सेदारी देने की स्थिति में थे। इसलिए, वे एलसीओ को छोटे एमएसओ से दूर जाने और उनके साथ संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसे एमएसओ ने प्रतिकूल शर्तों को प्रदान करने के लिए अपनी बाजार शक्ति का इस्तेमाल किया या ग्राहकों तक पहुंचने के लिए प्रसारकों के लिए वितरण नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त करना मुश्किल बना दिया। ऐसे उदाहरण थे जहां एक प्रमुख एमएसओ ने कुछ प्रसारकों के लिए उपभोक्ताओं तक सामग्री पहुंचाने के लिए अपने वितरण नेटवर्क तक पहुंच बनाना मुश्किल बना दिया था। सामग्री को चुनिंदा रूप से अवरूद्ध करना भी दृष्टिकोण की बहुलता को बढ़ावा देने में एक बाधा बन गया।

- ◆ बढ़ते टीवी चैनल वितरण बाजार में यदि प्रतिस्पर्धी एमएसओ के बीच विलय और अधिग्रहण (एमएंडए) को क्षेत्र नियामक द्वारा अनियंत्रित छोड़ दिया गया था तो इस बात की एक अलग संभावना थी कि ऐसे एमएंडए प्रतिस्पर्धी बाजारों को भी एकाधिकार या कुलीन बाजार संरचनाओं में बदल सकते हैं, जहां केवल कुछ कंपनियों का ही दबदबा होता है और बाजार अत्यधिक केंद्रित हो जाते हैं। ऐसे मामलों में, प्रमुख एमएसओ नये खिलाड़ियों के लिए प्रवेश में बाधाएँ पैदा करने के लिए अपनी बाजार शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं, मूल्य शृंखला में अन्य हितधारकों को अनुचित शर्तें प्रदान कर सकते हैं और प्रतिस्पर्धा को विकृत कर सकते हैं। इसके अलावा, यह सामग्री के चयनात्मक अवरोधन को भी जन्म दे सकता है और दृष्टिकोण की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए बाधा बन सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2013 की अपनी सिफारिशों में निष्कर्ष निकाला कि प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने, टीवी चैनल वितरण बाजार के संचालन में दक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए टेलीविजन वितरण क्षेत्र में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है।

यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि एमआईवी द्वारा जारी किये गये टेलीविजन चैनलों की डाउनलिकिंग के लिए नीति दिशानिर्देश के मुताबिक एक प्रसारक अपने टेलीविजन चैनल सीधे उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं कर सकता है। एमआईवी से डाउनलिकिंग की अनुमति मांगने वाले किसी भी प्रसारक को एमएसओ या डीटीएच ऑपरेटर या आईपीटीवी सेवा प्रदाता या एचआईटीएस ऑपरेटर को सैटेलाइट टीवी चैनल सिग्नल रिसेप्शन डिकोडर प्रदान करना होगा।

वितरण के अन्य माध्यमों की मौजूदगी के बावजूद एमएसओ स्थानीय चैनलों की पेशकश में अपनी विशिष्टता के कारण टेलीविजन चैनल वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए, कोई यह कह सकता है कि केवल टीवी सेवाओं में एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व के मुद्दे का महत्व है।

Because of the market structure and non-availability of multiple cable services in one area, MSOs may have control over certain areas and form monopoly. In general, high-rise residential buildings or gated communities in urban areas are controlled by local resident welfare associations or the builders. Most of the times, these associations or builders do not allow multiple cable service providers to access the building or residential communities. In any case, the business model of cable services has evolved in such a way that most of the areas are served by a single service provider. Therefore, in many areas, LCOs enjoy market power and independently control the market.

It is worth noting that TRAI in its Recommendations on 'Delivering Broadband Quickly: What do we need to do?' dated 17th April 2015 recommended to allow cable operators to function as resellers of ISP licensees. This would enable LCOs to take advantage of their existing cable network and Broadband services, thereby enhancing their earnings. The optic fiber of LCOs can also be used to provide high speed broadband services in addition to traditional cable TV services. There can be a scenario wherein a LCO is linked to a MSO and may together abuse their dominant position. In such a scenario, consumers in that area/region will only be able to avail the services from that MSO/LCO group. Such situation may distort the market. Hence, there is a need to ensure that a wide variety of services are available to consumers through disparate service providers. Therefore, for such areas, enabling policy and regulatory measures may be necessary to promote infrastructure sharing in the last mile to safeguard the consumer interest. Infrastructure sharing will enable consumers to obtain wide range of services at affordable prices. Further, Telecom Service Providers (TSPs) can also acquire ownership of LCOs and may abuse the pre-existing dominant position in the market. In this scenario, there may be a need to review regulations/rules to oversee any distortion of market by LCOs who have market power.

The new regulatory framework (notified in March 2017 and implemented in December 2018) has, to a certain extent, curbed the tendency of MSOs to form monopolies or abuse their dominance. The framework put an end to the earlier practice of discriminatory pricing by broadcasters. Such discriminatory pricing almost always worked to the disadvantage of small MSOs. Thus, the framework has helped establish level-playing field between large and small MSOs. The recent spurt in new registrations of MSOs is attributable to it.

The regulatory framework also includes the Quality of Service and Consumer Complaint Redressal mechanism.

बाजार संरचना और एक क्षेत्र में कई केवल सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण, एमएसओ का कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण हो सकता है और एकाधिकार हो सकता है। सामान्य तौर पर शहरी क्षेत्रों में उच्च वृद्धि वाले आवासीय भवनों या गेटेड समुदायों को स्थानीय निवास कल्याण संघों या विल्डरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अधिकतर तो ये एमोसिएशन या विल्डर कई केवल सेवा प्रदाताओं को भवन या आवासीय समुदायों तक पहुंचने की अनुमति नहीं देते हैं। किसी भी मामले में, केवल सेवाओं का व्यवसाय मॉडल इस तरह विकसित हुआ है कि अधिकांश क्षेत्रों में एक ही सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। इसलिए, कई क्षेत्रों में, एलसीओ बाजार की शक्ति का आनंद लेते हैं और स्वतंत्र रूप से बाजार को नियंत्रित करते हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि ट्राई ने 17 अप्रैल 2015 को 'तेजी से ब्रॉडबैंड वितरित करने : हमें क्या करने की आवश्यकता है' पर अपनी सिफारिशों में केवल ऑपरेटरों को आईएसपी लाइसेंसधारियों के पुनर्विक्रेताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इससे एलसीओ अपने मौजूदा केवल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। एलसीओ के ऑप्टिक फाइबर का उपयोग पारंपरिक केवल टीवी सेवाओं के अलावा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवायें प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। एक ऐसा परिदृश्य हो सकता है जिसमें एक एलसीओ एक एमएसओ से जुड़ा हो और एक साथ अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर सकता है। ऐसे परिदृश्य में, उस क्षेत्र/क्षेत्र के उपभोक्ता केवल उस एमएसओ/एलसीओ समूह की सेवा का लाभ उठा सकेंगे। ऐसी स्थिति बाजार को विकृत कर सकती है। इसलिए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अलग-अलग सेवा प्रदाताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध हों। इसलिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए, उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए अंतिम मील में बुनियादी ढांचे के बंटवारे को बढ़ावा देने के लिए नीति और नियामक उपायों को सक्षम करना आवश्यक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर व्यापक रेंज की सेवायें प्राप्त करने में सक्षम बनायेगी। इसके अलावा, दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी) एलसीओ का स्वामित्व भी हासिल कर सकते हैं और बाजार में पहले से मौजूद प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस परिदृश्य में बाजार की शक्ति रखने वाले एलसीओ द्वारा बाजार के किसी भी विरूपण की निगरानी के लिए विनियमों/नियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता हो सकती है।

नये नियामक ढांचे (मार्च 2017 में अधिसूचित और दिसंबर 2018 में लागू) ने कुछ हद तक एमएसओ की एकाधिकार बनाने या प्रभुत्व का दुरुपयोग करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया है। इस ढांचे ने प्रसारकों द्वारा भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण की पुरानी प्रथा को समाप्त कर दिया। इस तरह के भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण ने लगभग हमेशा छोटे एमएसओ के नुकसान के लिए काम किया। इस प्रकार, ढांचे ने बड़े और छोटे एमएसओ के बीच समान अवसर स्थापित करने में मदद की है। एमएसओ के नये पंजीकरण में हालिया उछाल इसके लिए जिम्मेदार है।

These regulations cover provisions for connection, disconnection, transfer and shifting of cable TV services. It also prescribes the procedure for billing and handling of subscribers' complaints. These provisions enable the consumers and curb discriminatory practices.

However, MIB in its reference back dated 19th February 2021 has mentioned that during the examination of the recommendations, some of the issues need further consideration by TRAI. Therefore, it is important to identify the possible scenarios of occurrence of monopoly/ market dominance and the suggested regulatory/ policy measures to curb the same.

RELEVANT MARKET FOR MEASURING MONOPOLY/MARKET DOMINANCE

It is essential that the market power is assessed with respect to relevant market. The relevant market means a market comprising the area in which the conditions of competition for supply of goods or provision of services or demand of goods or services are distinctly homogeneous and can be distinguished from the conditions prevailing in the neighboring areas.

The concept of relevant market is very important in competition law. Section 2(r) of the Competition Act 2002 defines relevant market:

“relevant market means the market which may be determined by the commission with reference to the relevant product market or the relevant geographic market or with reference to both the markets;”

Further, relevant geographical market has been defined under Sec. 2(s) of Competition Act 2002:

“relevant geographic market” means a market comprising the area in which the conditions of competition for supply of goods or provision of services or demand of goods or services are distinctly homogenous and can be distinguished from the conditions prevailing in the neighboring areas;”

Competition Act 2002 only provides the reference definition of relevant market without any straight-jacket definition for all cases. The Competition Commission of India determines what constitutes the relevant market distinctly for each case after due investigation. Section 19 of the Competition Act 2002 provides the guiding principles in this regard as follows:

“(5) For determining whether a market constitutes a “relevant market” for the purposes of this Act, the Commission shall have due regard to the “relevant geographic market” and “relevant product market”.

नियामक ढांचे में सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र भी शामिल है। इन विनियमों में केवल टीवी सेवाओं के कनेक्शन, डिस्कनेक्शन, स्थानांतरण और स्थानांतरण के प्रावधान शामिल हैं। यह ग्राहकों की बिलिंग और शिकायतों की प्रक्रिया को संभालने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। ये प्रावधान उपभोक्ताओं को सक्षम बनाते हैं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं पर अंकुश लगाते हैं।

हालांकि एमआईबी ने 19 फरवरी 2021 को अपने संदर्भ में उल्लेख किया है कि सिफारिशों की जांच के दौरान, कुछ मुद्दों पर ट्राई द्वारा और विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए, एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व की घटना के संभावित परिदृश्यों की पहचान करना और इसे रोकने के लिए सुझाये गये नियामक/नीतिगत उपायों की पहचान करना महत्वपूर्ण है।

एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व को मापने के लिए प्रासंगिक बाजार

यह आवश्यक है कि बाजार की शक्ति का मूल्यांकन प्रासंगिक बाजार के संबंध में किया जाये। प्रासंगिक बाजार का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान या वस्तुओं या सेवाओं की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां स्पष्ट रूप से सजातीय हैं और पड़ोसी क्षेत्रों में प्रचलित स्थितियों से अलग की जा सकती हैं।

प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रासंगिक बाजार की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 2 (आर) प्रासंगिक बाजार को परिभाषित करती है:

‘प्रासंगिक बाजार का मतलब ऐसे बाजार से है जो आयोग द्वारा प्रासंगिक उत्पाद बाजार या प्रासंगिक भौगोलिक बाजार के संदर्भ में या दोनों बाजार के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।’

इसके अलावा, प्रासंगिक भौगोलिक बाजार को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 2(ओ) के तहत परिभाषित किया गया है:

‘प्रासंगिक भौगोलिक बाजार’ का अर्थ उस क्षेत्र से है जिसमें माल की आपूर्ति या सेवाओं के प्रावधान या वस्तुओं या सेवाओं की मांग के लिए प्रतिस्पर्धा की स्थितियां स्पष्ट रूप से समरूप हैं और पड़ोसी क्षेत्रों में प्रचलित स्थितियों से अलग की जा सकती हैं।’

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 सभी मामलों के लिए बिना किसी स्ट्रेट जैकेट परिभाषा के केवल प्रासंगिक बाजार की संदर्भ परिभाषा प्रदान करता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग उचित जांच के बाद प्रत्येक मामले के लिए स्पष्ट रूप से प्रासंगिक बाजार का निर्धारण करता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 19 इस संबंध में निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करती है:

(5) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए एक बाजार एक ‘प्रासंगिक बाजार’ का करता है और आयोग के पास ‘प्रासंगिक भौगोलिक बाजार’ और ‘प्रासंगिक उत्पाद बाजार’ के लिए उचित सम्मान होगा।

CONSULTATION PAPER

- (6) *The Commission shall, while determining the “relevant geographic market”, have due regard to all or any of the following factors, namely:—*
- (a) *regulatory trade barriers;*
 - (b) *local specification requirements;*
 - (c) *national procurement policies;*
 - (d) *adequate distribution facilities;*
 - (e) *transport costs;*
 - (f) *language;*
 - (g) *consumer preferences;*
 - (h) *need for secure or regular supplies or rapid after-sales services.*
- (7) *The Commission shall, while determining the “relevant product market”, have due regard to all or any of the following factors, namely:—*
- (a) *physical characteristics or end-use of goods;*
 - (b) *price of goods or service;*
 - (c) *consumer preferences;*
 - (d) *exclusion of in-house production;*
 - (e) *existence of specialised producers;*
 - (f) *classification of industrial products.”*

Considering these provisions, relevant market for the cable TV could be the entire market, i.e., the whole country or a State or a district. It may be argued that defining the whole country may not be appropriate as India is a large country with diverse cultures and socio-economic variations. Many States have a local language (e.g., Tamil, Malayalam, Kannada, Telugu, Marathi, Gujarati, Bengali, etc.). There is a strong presence of quite-a-few regional channels based on local languages. Obviously, the predominant customer base for the regional channels will be in the concerned State especially where state boundaries are according to the regional language. In such cases the demand and the supply of various channels will vary by State. Furthermore, administrative set-up and transport infrastructure tend to support common mechanism within a state. This results in businesses harmonizing their area of operations on state-to-state basis.

The purpose of defining relevant market is to measure the competition in that market. Some of the MSOs have significant presence in multiple States. While some MSOs with large scale of operations have acquired many smaller MSOs and formed Joint ventures (JV). It is pertinent to note that although these MSOs are registered as separate

- (6) आयोग, ‘प्रासंगिक भौगोलिक बाजार’ का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कारकों को ध्यान में रखेगी, अर्थात्
- (ए) नियामक व्यापार बाधाएँ
 - (बी) स्थानीय विनिर्देश आवश्यकताएँ
 - (सी) राष्ट्रीय खरीदी नीतियाँ,
 - (डी) पर्याप्त वितरण सुविधा
 - (ई) परिवहन लागत
 - (एफ) भाषा
 - (जी) उपभोक्ता वरीयताएँ
 - (एच) सुरक्षित या नियमित आपूर्ति या तेजी से बिक्री के बाद सेवाओं की आवश्यकता।
- (7) आयोग ‘प्रासंगिक उत्पाद बाजार’ का निर्धारण करते समय, निम्नलिखित सभी या किन्हीं कारकों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्
- (ए) वस्तुओं के अंतिम इस्तेमाल या भौतिक विशेषताएँ
 - (बी) माल या सेवा की कीमत
 - (सी) उपभोक्ता प्राथमिकताएँ
 - (डी) घरेलू उत्पाद को बहिष्करण
 - (ई) विशेष उत्पादों का आस्तित्व
 - (एफ) औद्योगिक उत्पादों का वर्गीकरण

इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, केवल टीवी के लिए प्रासंगिक बाजार यानि पूरा देश या एक राज्य या एक जिला संपूर्ण बाजार हो सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि पूरे देश को परिभाषित करना उचित नहीं हो सकता है क्योंकि भारत विविध संस्कृतियों और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं वाला एक बड़ा देश है। कई राज्यों की स्थानीय भाषा है (जैसे तमिल, मलयालम, कन्नड, तेलुगू, मराठी, बंगाली, आदि)। स्थानीय भाषाओं पर आधारित कुछ क्षेत्रीय चैनलों की मजबूत उपस्थिति है। जाहिर है क्षेत्रीय चैनलों के लिए प्रमुख ग्राहक आधार संबंधित राज्य में होगा, खासकर जहां राज्य की सीमायें क्षेत्रीय भाषा के अनुसार होगी। ऐसे मामलों में विभिन्न चैनलों की मांग या आपूर्ति राज्य द्वारा अलग-अलग होगी। इसके अलावा प्रशासनिक संगठन और ट्रांसपोर्ट अवसंरचना एक राज्य के भीतर सामान्य तंत्र का समर्थन करती है। इसका परिणाम व्यवसायों में राज्य दर राज्य आधार पर उनके संचालन के क्षेत्र में सामंजस्य स्थापित करने में होता है।

प्रासंगिक बाजार को परिभाषित करने का उद्देश्य उस बाजार में प्रतिस्पर्धा को मापना है। कुछ एमएसओ की कई राज्यों में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। जबकि कुछ एमएसओ ने बड़े पैमाने पर संचालन के साथ कई छोटे एमएसओ का अधिग्रहण किया है और संयुक्त उद्यम (जेवी) का गठन किया है। यह ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि ये एमएसओ एमआईवी के साथ अलग-अलग संस्थाओं के रूप में पंजीकृत हैं, वे एक

entities with MIB, they operate as a single entity and have the potential to dominate the cable TV market. There are other MSOs also who primarily operate in respective regional market. Such MSOs have significant market share in their area of operation.

Now, as an example, if regulations are framed taking the whole country as a relevant market, then cases where market players dominate smaller market/ states will escape scrutiny. For instance, if a restriction of say 25% of market share is applied on a national basis, the MSO and its JVs could still monopolize/dominate multiple State markets. Another important factor is the reach of cable television homes across various states. While the same is very high in some states like Tamil Nadu or Maharashtra, it is abysmally low in hilly/ north-eastern states. As per a BARC TV Universe Estimate 2020, TV owning households in the country represent about 2/3rd of all households. However, as per the estimates, there are 25.5 million TV homes in Maharashtra and Goa and 22.6 million TV homes in Tamil Nadu and Pondicherry while on the other hand there are only 6.8 million TV homes in Assam, Nagaland and Sikkim. Moreover, a dominant player in one state may have insignificant market share at national level. Therefore, defining pan-India as a relevant market may not serve the cause.

Alternatively, the unit for measurement of the relevant market could be either the State or the district. Setting up of independent operations at each district level may not be cost efficient for MSOs. With the spread of optical fiber network across the country, it will be easier to distribute content across the State through a centralized head end(s) in the State leading to reduced CapEx and OpEx. Centralized operations at State level will also lead to benefits of economies of scale. Therefore, MSOs in coordination with its JVs are more likely to compete at the State level than the district level. Further, in terms of language and supply of channels there may not be significant differences between individual districts and the State as a whole. The areas served by the channels which are based on the local language generally span the State. Defining the district as the relevant market requires much higher capacity for regulation/ oversight. Therefore, a pre-defined relevant market requires a balancing between the necessity of intervention and the oversight capacity of regulatory institution. Previously (2013 recommendations), the Authority considered that a State may be preferred over a district for defining the dominance in cable TV services, the State could be considered as a unit of operation.

एकल इकाई के रूप में काम करते हैं और केवल टीवी बाजार पर हावी होने की क्षमता रखते हैं। अन्य एमएसओ भी हैं जो मुख्य रूप से संबंधित क्षेत्रीय बाजार में काम करते हैं। ऐसे एमएसओ का अपने संचालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है।

अब एक उदाहरण के रूप में, यदि पूरे देश को एक प्रासंगिक बाजार के रूप में लेते हुए नियम बनाये जाते हैं, तो ऐसे मामले जहां बाजार के खिलाड़ी छोटे बाजार/राज्यों पर हावी है, जांच से बच जायेंगे। उदाहरण के लिए यदि राष्ट्रीय आधार पर बाजार हिस्सेदारी के 25% पर प्रतिबंध लागू किया जाता है तो एमएसओ और उसके संयुक्त उपक्रम अभी भी कई राज्यों के बाजारों पर एकाधिकार/प्रभुत्व कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक विभिन्न राज्यों में केवल टेलीविजन घरों में पहुंच है। जबकि तमिलनाडु या महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में यह बहुत अधिक है, जबकि यह पहाड़ी/उत्तर पूर्वी राज्यों में बहुत कम है। वीएआरसी टीवी यूनिवर्स एस्टीमेट 2020 के अनुसार देश में टीवी के मालिक सभी घरों का लगभग 2/3 हिस्सा है। हालांकि अनुमान के अनुसार महाराष्ट्र व गोवा में 25.5 मिलियन टीवी घर और तमिलनाडु व पांडिचेरी में 22.6 मिलियन टीवी घर हैं जबकि दूसरी ओर असम, नागालैंड और सिक्किम में केवल 6.8 मिलियन टीवी घर हैं। इसके अलावा एक राज्य में एक प्रमुख खिलाड़ी की राष्ट्रीयस्तर पर बाजार हिस्सेदारी नगण्य हो सकती है। इसलिए अखिल भारतीय को एक प्रासंगिक बाजार के रूप में परिभाषित करना उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता है।

वैकल्पिक रूप से, संबंधित बाजार की माप की इकाई राज्य या जिला हो सकती है प्रत्येक जिलास्तर पर स्वतंत्र संचालन की स्थापना एमएसओ के लिए लागत प्रभावी नहीं हो सकती है। देश भर में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के प्रसार के साथ राज्य में एक केंद्रीकृत हेडएंड के माध्यम से पूरे राज्य में सामग्री वितरित करना आसान हो जायेगा, जिससे कैपेक्स व ओपेक्स कम हो जायेगा। राज्यस्तर पर केंद्रीकृत संचालन से भी पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ मिलेगा। इसलिए एमएसओ अपने संयुक्त उपक्रम के साथ समन्वय में जिलास्तर की तुलना में राज्यस्तर पर प्रतिभा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके अलावा भाषा व चैनलों की आपूर्ति के मामले में अलग-अलग जिलों व समग्र रूप से राज्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर नहीं हो सकता है। चैनलों द्वारा सेवित क्षेत्र, जो स्थानीय भाषा पर आधारित होते हैं, आम तौर पर राज्य में फैले होते हैं। जिलों को प्रासंगिक बाजार के रूप में परिभाषित करने के लिए विनियमन/निगरानी के लिए बहुत अधिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इसलिए एक पूर्व परिभाषित प्रासंगिक बाजार में हस्तक्षेप की आवश्यकता और नियामक संस्था की निगरानी की क्षमता के बीच संतुलन की आवश्यकता होती है। पहले (2013 की सिफारिशों), प्राधिकरण ने माना कि केवल टीवी सेवाओं में प्रभुत्व को परिभाषित करने के लिए एक राज्य को जिले से अधिक प्राथमिकता दी जा सकती है, राज्य को एक संचालन की इकाई के रूप में माना जा सकता है।

CONSULTATION PAPER

The Authority in its Recommendations dated 26th November 2013 recommended that the State, with certain exceptions as mentioned in Table 1, should be considered as the relevant market for assessing monopoly/market dominance of MSOs in the TV channel distribution market.

Table 1: Relevant markets for TV channel distribution

Sl. No.	State/Union Territory
1	Andhra Pradesh
2	Arunachal Pradesh
3	Assam
4	Bihar
5	Chhattisgarh
6	Delhi
7	Goa
8	Gujarat, including UT of Dadra and Nagar Haveli
9	Haryana
10	Himachal Pradesh
11	UTs of Jammu and Kashmir, and Ladakh
12	Jharkhand
13	Karnataka
14	Kerala, including UT of Lakshadweep
15	Madhya Pradesh
16	Maharashtra
17	Manipur
18	Meghalaya
19	Mizoram
20	Nagaland
21	Odisha
22	Punjab, including UT of Chandigarh
23	Rajasthan
24	Sikkim
25	Tamil Nadu, including UT of Puducherry
26	Tripura
27	Uttar Pradesh
28	Uttarakhand
29	West Bengal, including UT of Andaman and Nicobar Islands

However, one may opine that this decision of TRAI

प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2013 की अपनी सिफारिशों में सिफारिश की थी कि राज्य को, तालिका 1 में उल्लेखित कुछ अपवादों के साथ, टीवी चैनल वितरण बाजार में एमएसओ के एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व का आकलन करने के लिए प्रासंगिक बाजार के रूप में माना जाना चाहिए।

टेबल 1: टीवी चैनल वितरण के लिए संबंधित बाजार

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
1	आंध्र प्रदेश
2	अरुणांचल प्रदेश
3	असम
4	बिहार
5	छत्तीसगढ़
6	दिल्ली
7	गोवा
8	दादरा और नगर हवेली के साथ गुजरात
9	हरियाणा
10	हिमाचल प्रदेश
11	जम्मू व कश्मीर, व लद्दाख का यूटी
12	झारखंड
13	कर्नाटक
14	लक्षद्वीप के यूटी सहित केरल
15	मध्य प्रदेश
16	महाराष्ट्र
17	मणिपुर
18	मेघालय
19	मिजोरम
20	नागालैंड
21	उड़ीसा
22	चंडीगढ़ यूटी सहित पंजाब
23	राजस्थान
24	सिक्किम
25	पुडुचेरी यूटी सहित तमिलनाडु
26	त्रिपुरा
27	उत्तर प्रदेश
28	उत्तराखंड
29	अंडमान व निकोबार द्वीप यूटी सहित पश्चिम बंगाल

हालांकि कोई यह कह सकता है कि प्रासंगिक बाजार को राज्य

to define relevant market as a 'State' amounts to defining 'relevant geographical market'. In broadcasting space, relevant market can also be 'relevant product market'. For example, Assamese channels primarily cater to Assam, whereas Hindi or English channels may cater to specific audiences across the country. Therefore, the question may arise as to whether the concept of pre-defined relevant geographic market only needs to be applied or it has to be assessed on case-to-case basis.

QUANTIFYING COMPETITION

Establishing market dominance requires an assessment of relevant market and market power. However, there are several problems with establishing these parameters for any industry. Commonly the following three methods are used to assess market concentration:

- Concentration Ratio:** It compares the revenues of the top four or eight companies to the total revenues of that industry. If the top four is higher than 50% or the top eight is higher than 75% of total revenues, then concentration may be considered high. This can be also applied to cross-communication industry ownership by including all the cross-industry revenues and comparing individual conglomerates' revenue to the whole.
- Lerner's Index:** Another method to analyze market concentration is the Lerner's index, which recognizes how the industry is structured and its effect on the market power. It is defined as:

$$\text{Lerner's index} = \frac{p - c}{p}$$

where p is the selling price of good and c is the marginal cost required to produce that good.

- Herfindahl-Hirschman Index:** Third and the most widely used tool is the Herfindahl-Hirschman Index (HHI). It is the sum of squares of market shares (%) of all firms in the identified market. It is more definitive than Concentration ratios but can be tedious in a multiple company market in that each company's revenue needs to be accounted for and totaled for the total market revenue.

Please refer to Appendix I for more details on these three measures.

To ascertain whether a firm operating in a market is in a dominant position, metrics have to be used to measure market power. Each of the above-mentioned measures, in

के रूप में परिभाषित करने का ट्राई का यह निर्णय प्रासंगिक भौगोलिक बाजार को परिभाषित करने के बराबर है। प्रसारण क्षेत्र में, प्रासंगिक बाजार प्रासंगिक उत्पाद बाजार भी हो सकता है। उदाहरण के लिए असमिया चैनल मुख्य रूप से असम की जरूरतों को पूरा करता है, जबकि हिंदी या अंग्रेजी चैनल देश भर में विशिष्ट दर्शकों के लिए होता है। इसलिए यह सवाल उठ सकता है कि क्या पूर्व परिभाषित प्रासंगिक भौगोलिक बाजार की अवधारणा को केवल लागू करने की आवश्यकता है या इसका मामला दर मामला आधार पर मूल्यांकन किया जाना है।

कांटाफाइंग प्रतियोगिता

बाजार प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रासंगिक बाजार और बाजार शक्ति के आकलन की आवश्यकता होती है। हालांकि किसी भी उद्योग के लिए इन मानकों को स्थापित करने में कई समस्याएँ हैं। बाजार की सघनता का आकलन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित तीन विधियों का उपयोग किया जाता है।

- एकाग्रता अनुपात:** यह शीर्ष चार या आठ कंपनियों के राजस्व की तुलना उस उद्योग के कुल राजस्व से करता है। यदि शीर्ष चार 50% से अधिक है या शीर्ष आठ कुल राजस्व के 75% से अधिक है तो एकाग्रता को उच्च माना जा सकता है। यह सभी क्रॉस इंडस्ट्री राजस्व को शामिल करके और व्यक्तिगत समूह के राजस्व की समग्र रूप से तुलना करके क्रॉस कम्प्युनिकेशन्स उद्योग के स्वामित्व पर भी लागू किया जा सकता है।
- लर्नर का सूचकांक:** बाजार की एकाग्रता का विश्लेषण करने का एक अन्य तरीका लर्नर का सूचकांक है जो यह पहचानता है कि उद्योग कैसे संरचित है और बाजार की शक्ति पर इसका प्रभाव है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

$$\text{Lerner's index} = \frac{p - c}{p}$$

यहां पी वस्तु का विक्रय मूल्य है और सी उस वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक सीमांत लागत है।

- Herfindahl-Hirschman इंडेक्स:** तीसरा और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला टूल Herfindahl-Hirschman Index (HHI) है। यह पहचाने गये बाजार में सभी फार्मों के बाजार शेयरों (%) के वर्गों का योग है। यह एकाग्रता अनुपात की तुलना में अधिक निश्चित है लेकिन एक से अधिक कंपनी बाजार में थकाऊ हो सकती है जिसमें प्रत्येक कंपनी के राजस्व को कुल बाजार राजस्व के लिए हिसाब और कुल करने की आवश्यकता होती है।

इन तीन उपायों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।

यह पता लगाने के लिए कि बाजार में काम करने वाली एक फर्म प्रमुख स्थिति में है या नहीं, बाजार की शक्ति को मापने के लिए मैट्रिक्स

its own way, correlates market power with market characteristics; the characteristic varies from measure to measure.

The Authority had also noted that internationally, HHI is commonly used for measuring the level of competition or market concentration in a relevant market. HHI is calculated based on the market shares of different firms operating in the relevant market. The HHI reflects both the distribution of the market shares of the top firms and the composition of the market outside the top firms.

In view of the above, the Authority recommended that for measuring the level of competition or market concentration in a relevant market, HHI should be used. However, MIB has suggested that the applicability of other methods may be explored.

Some scholars are shifting away from the HHI and are emphasizing the need of adopting an alternative and holistic tool of measurement. Prof. Eli M. Noam expressed his reservations against the HHI and stated that HHI only considers market power and not makes allowance for pluralism. He theorized an alternative index called “Media Ownership Concentration and Diversity Index”, which is an extension of the HHI only. In light of MIB’s reference regarding the relevance of HHI, opinions of the stakeholders are desired on any other new/alternative tool of measurement of market concentration of an entity.

MIB in its reference back dated 19th February 2021 has asked whether HHI holds well even now as it was suggested in 2013 and also if any other index has developed since then. Accordingly, stakeholders are requested to suggest the appropriate metric for measuring the level of competition or market concentration in a relevant market.

THRESHOLD VALUE OF MARKET SHARE

In the earlier consultation process, the Authority also deliberated on the threshold value of market share beyond which a MSO should not be allowed to build market share, for facilitating competition and promoting efficiency in a relevant market. After receiving a wide range of comments from various stakeholders, the Authority in the recommendations dated 26th November 2013 noted that a 60–80% market share of any particular entity in a relevant market would result in a market HHI of more than 4000. Markets with such a large HHI value are considered highly concentrated and result in restricting competition in the market. The Authority also noted that a very low threshold value for market share of an individual or ‘group’ entity may not help in reaping the benefits of economies of scale. For ensuring that a minimum of three MSOs of comparable

का उपयोग करना होगा। उपयुक्त उपायों में से प्रत्येक अपने तरीके से बाजार की विशेषताओं के साथ बाजार की शक्ति को सहसंबंधित करता है, विशेषता माप से माप में भिन्न होती है।

प्राधिकरण ने यह भी नोट किया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एचएचआई का उपयोग आमतौर पर संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर या बाजार की एकाग्रता को मापने के लिए किया जाता है। एचएचआई की गणना संबंधित बाजार में काम कर रही विभिन्न फर्मों के बाजार शेयरों के आधार पर की जाती है। एचएचआई शीर्ष फर्मों के बाजार शेयरों के वितरण और शीर्ष फर्मों के बाहर बाजार की संरचना दोनों को दर्शाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर या बाजार की एकाग्रता को मापने के लिए एचएचआई का उपयोग किया जाना चाहिए। हालांकि, एमआईबी ने सुझाव दिया है कि अन्य तरीकों की प्रयोज्यता का पता लगाया जा सकता है।

कुछ विद्वान एचएचआई से दूर जा रहे हैं और माप के एक वैकल्पिक और समग्र उपकरण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। प्रो एली एम नोम ने एचएचआई के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की है और कहा कि एचएचआई केवल बाजार की ताकत पर विचार करता है और बहुलवाद के लिए अनुमति नहीं देता है। उन्होंने ‘मीडिया स्वामित्व एकाग्रता और विविधता सूचकांक’ नामक एक वैकल्पिक सूचकांक का सिद्धांत भी दिया है जो केवल एचएचआई का विस्तार है। एचएचआई की प्रासंगिकता के संबंध में एमआईबी के संदर्भ के आलोक में, किसी इकाई के बाजार संकेंद्रण के मापन के किसी अन्य नये/वैकल्पिक उपकरण पर हितधारकों की राय वांछित है।

एमआईबी ने 19 फरवरी 2021 के अपने संदर्भ में पूछा है कि क्या एचएचआई अब भी ठीक है जैसा कि 2013 में सुझाया गया था और यह भी क्या तब से कोई अन्य सूचकांक विकसित हुआ है। इसके अनुसार हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे संबंधित बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर या बाजार की एकाग्रता को मापने के लिए उपयुक्त मीट्रिक्स का सुझाव दें।

बाजार हिस्सेदारी का दहलीज मूल्य

पहले के परामर्श प्रक्रिया में, प्राधिकरण ने बाजार हिस्सेदारी के प्रारंभिक मूल्य पर भी विचार-विमर्श किया, जिसके आगे प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाने और प्रासंगिक बाजार में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए एक एमएसओ को बाजार हिस्सेदारी बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियों की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करने के बाद, प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2013 की सिफारिशों को नोट किया कि प्रासंगिक बाजार में किसी विशेष इकाई कि 60–80% बाजार हिस्सेदारी के परिणामस्वरूप 4000 से अधिक बाजार एचएचआई होगा। इतने बड़े एचएचआई मूल्य वाले बाजारों को अत्यधिक केंद्रित माना जाता है और इसके परिणामस्वरूप बाजार में प्रतिस्पर्धा सीमित होती है। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि किसी व्यक्ति या समूह इकाई के बाजार हिस्से के लिए बहुत कम प्रारंभिक मूल्य पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभों को प्राप्त करने में मदद नहीं कर

size operate in a relevant market, the Authority decided to restrict the building up of market share up to 50%, which corresponds to individual contribution of 2500 to market HHI, by any individual/ 'group' entity through M&A/ 'control' of an entity over many MSOs/ LCOs.

Further the market keeps evolving. The emerging trends reflect the importance of Local Network to expand broadband services. There can be cases where a large Broadband/ Telecom Service Provider acquire MSO or multiple LCOs to gain access/ control over local distribution. Such developments may cause considerable effect on proliferation of broadband services and negatively impact consumer interest.

MONOPOLY/MARKET DOMINANCE BY SINGLE ENTITY

A single or individual entity can dominate the market all by itself through natural growth. This issue was also deliberated in the last consultation process. The Authority also noted the challenge for a MSO, which already possesses market share beyond a stipulated threshold, to ask its consumers to leave its network so as to meet the restrictions on market share. Concern was also raised that imposing a restriction on market share may hurt efficient operators, who gain market share based on better service, innovative packaging, etc. Further, consumers' choice would also be constrained if availing services of an operator is restricted on account of market share restrictions. However, the Authority noted that market dominance cannot be encouraged as it could lead to noncompetitive practices and accordingly, the Authority recommended the following:

"Any MSO which by itself contributes to more than 2500 HHI in a relevant market should not be permitted to merge with or acquire the 'control' of any other MSO/ LCO in that relevant market. Also, the tariff offerings, interconnect agreements, must carry provisions and quality of service of such MSO would be closely monitored by TRAI for any anti-competitive practices."

MIB in its back reference dated 19th February 2021 has mentioned that if the groups' HHI contribution to market is more than 2500, it shall take remedial measures within 12 months from issue of guidelines to limit its control in MSOs/ LCOs in such a way that HHI reduces to less than or equal to 2500 and asked TRAI to suggest modalities for implementing the same and its effects in respect of ownership. Relevant para for MIB reference back is reproduced below:

सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि तुलनीय आकार के कम से कम तीन एमएसओ एक प्रासंगिक बाजार में काम करते हैं, प्राधिकरण ने बाजार हिस्सेदारी के निर्माण को 50% तक सीमित करने का फैसला किया, जो कई एमएसओ/एलसीओ पर एक इकाई के एमएंडए/नियंत्रण के माध्यम से किसी भी व्यक्ति/समूह द्वारा एचएचआई के बाजार में 2500 के व्यक्तिगत योगदान के अनुरूप है। इसके अलावा बाजार विकसित होता रहता है। उभरते रूझान ब्रॉडबैंड सेवाओं के विस्तार के लिए टैरेस्ट्रियल नेटवर्क के महत्व को दर्शाते हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक बड़ा ब्रॉडबैंड/दूरसंचार सेवा प्रदाता स्थानीय वितरण पर पहुंच/नियंत्रण हासिल करने के लिए एमएसओ या एकाधिक एलसीओ का अधिग्रहण करते हैं। इस तरह के विकास से ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रसार पर काफी प्रभाव पड़ सकता है और उपभोक्ता हितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

एकल इकाई द्वारा एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व

एक एकल या व्यक्तिगत इकाई प्राकृतिक विकास के माध्यम से अपने आप बाजार पर हावी हो सकती है। पिछली परामर्श प्रक्रिया में भी इस मुद्दे पर विचार किया गया था। प्राधिकरण ने एक एमएसओ के लिए चुनौती को भी नोट किया था जिसके पास निर्धारित सीमा से अधिक बाजार हिस्सेदारी है, अपने उपभोक्ताओं को अपना नेटवर्क छोड़ने के लिए कहने के लिए ताकि बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिबंधों को पूरा किया सके। यह भी चिंता व्यक्त की गयी कि बाजार हिस्सेदारी पर प्रतिबंध लगाने से कुशल ऑपरेटर्स को नुकसान हो सकता है जो बेहतर सेवा, नवीन पैकेजिंग आदि के आधार पर बाजार हिस्सेदारी हासिल करते हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं की पसंद भी बाधित होगी यदि किसी ऑपरेटर की सेवाओं का लाभ बाजार हिस्सेदारी प्रतिबंधों के कारण प्रतिबंधित है। हालांकि प्राधिकरण ने नोट किया कि बाजार प्रभुत्व को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे गैर प्रतिस्पर्धा व्यवहार हो सकते हैं और उसके अनुसार प्राधिकरण ने निम्नलिखित सिफारिश की:

कोई भी एमएसओ जो अपने आप में एक प्रासंगिक बाजार में 2500 से अधिक एचएचआई का योगदान देता है, को उस प्रासंगिक बाजार में किसी अन्य एमएसओ/एलसीओ के नियंत्रण के साथ विलय या अधिग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा टैरिफ की पेशकश, इंटरकनेक्ट समझौते, प्रावधानों को पूरा करना चाहिए और ऐसे एमएसओ की सेवा की गुणवत्ता पर किसी प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं के लिए ट्राई द्वारा बरीकी से निगरानी की जायेगी।

एमआईवी ने अपने पिछले संदर्भ दिनांक 19 फरवरी 2021 में उल्लेख किया है कि यदि समूहों का बाजार में एचएचआई का योगदान 2500 से अधिक है तो वह एमएसओ/एलसीओ में अपने नियंत्रण को सीमित करने के लिए दिशानिर्देश जारी होने के 12 महीनों के भीतर इस तरह से उपचारात्मक उपाय करेगा कि एचएचआई 2500 से कम या उसके बराबर हो गया है और ट्राई को इसे लागू करने के तौर तरीकों और स्वामित्व के संबंध में इसके प्रभावों के सुझाव देने के लिए कहा है। एमआईवी रैफरेंस के लिए प्रासंगिक पैरा नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है।

“(iii) TRAI has recommended that if the groups' HHI contribution to market is more than 2500, it shall take remedial measures within 12 months from issue of guidelines to limit its control in MSOs/LCOs in such a way that HHI reduces to less than or equal to 2500. In this regard TRAI may suggest modalities for implementing the same and its effects in respect of ownership;

(iv) Part (a) of the dispensation proposed in para 1.57 of TRAI recommendations states that an entity is said to control an MSO/LCO, and the business decisions thereby taken, if it owns at least twenty per cent of total share capital of that MSO/LCO. There can be scenario, where an entity has more than twenty percent stake in an MSO/LCO, yet may not control it owing to other majority shareholders. Further there can be scenario where more than one entity has stake exceeding twenty percent in an MSO/LCO. The dispensation for defining control may be clarified by TRAI in such scenarios;”

BASIS FOR DETERMINATION OF MARKET DOMINANCE

With respect to market dominance, it may be noted that Section 4 of the Competition Act 2002 prohibits any enterprise or group to abuse its dominant position. Dominant position has been defined in the explanation to the aforesaid section as follows:

“dominant position means a position of strength, enjoyed by an enterprise, in the relevant market, in India, which enables it to—

- (i) operate independently of competitive forces prevailing in the relevant market; or
- (ii) affect its competitors or consumers or the relevant market in its favour”

(iii) ट्राई ने सिफारिश की है कि यदि समूह का बाजार में एचएचआई का योगदान 2500 से अधिक है तो वह एमएसओ/एलसीओ में अपने नियंत्रण को सीमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के 12 महीने के भीतर उपचारात्मक उपाय करेगा ताकि एचएचआई 2500 से अधिक या कम से कम इसके बराबर हो जाये। इस संबंध में ट्राई इस लागू करने के तौर तरीके और स्वामित्व के संबंध में इसके प्रभावों का सुझाव दे सकता है।

(iv) ट्राई की सिफारिशों के पैरा 1.57 में प्रस्तावित व्यवस्था के भाग (ए) में कहा गया है कि एक इकाई को एमएसओ/एलसीओ को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है और इसके द्वारा लिए गये व्यवसायिक निर्णय, यदि उसके पास उस एमएसओ/एलसीओ की कुल शेयर पूंजी का कम से कम 20% है। ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जहां एक इकाई की एमएसओ/एलसीओ में 20% से अधिक हिस्सेदारी है, फिर भी अन्य बहुसंख्यक शेयरधारकों के कारण इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे परिदृश्य भी हो सकते हैं जहां एक एमएसओ/एलसीओ में एक से अधिक संस्थाओं की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत से अधिक हो। ऐसे परिदृश्यों में ट्राई द्वारा नियंत्रण को परिभाषित करने की व्यवस्था को स्पष्ट किया जा सकता है।

बाजार प्रभुत्व के निर्धारण के लिए आधार

बाजार प्रभुत्व के संबंध में यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 किसी भी उद्यम या समूह को अपनी प्रभुत्व की स्थिति को दुरुपयोग करने से रोकती है। पूर्वोक्त खंड की व्याख्या में प्रमुख स्थिति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

‘प्रमुख स्थिति का अर्थ है भारत में प्रासंगिक बाजार में एक उद्यम द्वारा प्राप्त ताकत की स्थिति जो इसे सक्षम बनाती है—

- (1) प्रासंगिक बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्धी ताकतों से स्वतंत्र रूप से काम करें या
- (2) अपने प्रतिस्पर्धियों या उपभोक्ताओं या संबंधित बाजार को अपने पक्ष में प्रभावित करता है

इसके अलावा धारा 6 किसी भी संयोजन को प्रतिबंधित करती है जो

**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR
THE CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**

**... You Know What You are doing
But Nobody Else Does**



MAGAZINE

ADVERTISE NOW!

Contact:
Mob.: +91-7021850198
Tel.: +91-22-6216 5313
Email: scat.sales@nm-india.com

Further, Section 6 prohibits any combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India.

The Authority in the earlier consultation also deliberated on the types of restrictions to be used for determining market dominance. The Authority mainly deliberated on two criteria; (A) Area-based Restrictions; (B) Market-Based Restrictions. Under area-based restrictions, the Authority deliberated on restrictions prescribed on the geographical area served by an individual MSO. By restricting the area of operation for a MSO in the relevant market, a greater number of MSOs will be required to serve the entire market leading to a reduction in the concentration level in the market. The other method to reduce concentration was to prescribe reasonable limits on market share in the relevant market. This can be as a result a merger or acquisition. It was discussed that restrictions on accumulation of market share will ensure that multiple MSOs provide their services in the relevant market.

In previous Recommendations, the Authority had also observed that DTH services are not perfect substitutes of cable TV services. The Authority noted the certain factors that are unique to cable industry. The Authority recommended that market dominance should be determined based on market share in terms of the number of active subscribers of MSOs in the relevant market.

Further, the Authority recommended that the market dominance should be determined based on the market share in terms of number of active subscribers of MSOs in the relevant market. As mentioned above, for measuring the level of competition or market concentration in a relevant market, it was recommended that the Herfindahl-Hirschman Index (HHI) should be used.

The emergence of broadband technology started a fresh academic debate on structural regulations of media and communications. One of the central arguments of the debate was if companies would use their monopoly power at one level of production to affect competition at some other competitive level.

As mentioned in the last chapter to derive benefit from this growth in OTT platforms, many Internet Service Providers (ISPs) across the country are bundling OTT video platforms as part of their offerings to incentivise users into subscribing to their services. The emergence of Smart TVs that enable consumers to connect to internet and other OTT platforms, besides providing access to the regular cable TV channels, are also expected to grow substantially in the

भारत में प्रासंगिक बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या संभावित रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

प्राधिकरण ने पहले के परामर्श में बाजार प्रभुत्व का निर्धारण करने के लिए उपयोग किये जाने वाले प्रतिबंधों के प्रकारों पर भी विचार किया था। प्राधिकरण ने मुख्य रूप से दो मानदंडों पर विचार किया, (ए) क्षेत्र आधारित प्रतिबंध (बी) बाजार आधारित प्रतिबंध। क्षेत्र आधारित प्रतिबंध के तहत प्राधिकरण ने एक व्यक्तिगत एमएसओ द्वारा प्रदत्त भौगोलिक क्षेत्र पर निर्धारित प्रतिबंधों पर विचार-विमर्श किया। प्रासंगिक बाजार में एक एमएसओ के संचालन के क्षेत्र को सीमित करके पूरे बाजार की सेवा के लिए अधिक संख्या में एमएसओ की आवश्यकता होगी जिससे बाजार में एकाग्रता स्तर में कमी आयेगी। संकेंद्रण को कम करने का दूसरा तरीका प्रासंगिक बाजार में बाजार हिस्सेदारी पर उचित सीमा निर्धारित करना था। यह विलय या अधिग्रहण के परिणामस्वरूप हो सकता है। यह चर्चा की गयी कि बाजार हिस्सेदारी के संचय पर प्रतिबंध यह सुनिश्चित करेगा कि कई एमएसओ संबंधित बाजार में अपनी सेवायें प्रदान करें।

पिछली सिफारिशों में प्राधिकरण ने यह भी देखा था कि डीटीएच सेवायें केबल टीवी सेवाओं का सही विकल्प नहीं है। प्राधिकरण ने कुछ ऐसे कारकों को नोट किया है जो केबल उद्योग के लिए अद्वितीय हैं। प्राधिकरण ने सिफारिश की कि बाजार के प्रभुत्व का निर्धारण बाजार हिस्सेदारी के आधार पर संबंधित बाजार में एमएसओ के सक्रिय ग्राहकों की संख्या के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसके अलावा प्राधिकरण ने सिफारिश की कि बाजार के प्रभुत्व का निर्धारण संबंधित बाजार में एमएसओ के सक्रिय ग्राहकों की संख्या के आधार पर बाजार हिस्सेदारी के आधार पर किया जाना चाहिए। जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है कि एक प्रासंगिक बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर या बाजार की एकाग्रता मापने के लिए, यह सिफारिश की गयी थी कि हेरफिंडाहल-हिश्मिन इंडेक्स (एचएचआई) का उपयोग किया जाना चाहिए।

बॉडबैंड तकनीकी के विकास ने मीडिया और संचार के संरचनात्मक नियमों पर एक नयी अकादमिक बहस शुरू की। बहस के केंद्रीय तर्कों में से एक यह था कि क्या कंपनियां किसी अन्य प्रतिस्पर्धा स्तर पर प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए उत्पादन के स्तर पर अपनी एकाधिकार शक्ति का उपयोग करेगी।

जैसाकि पिछले अध्याय में उल्लेख किया गया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में इस वृद्धि से लाभ प्राप्त करने के लिए देशभर में कई इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) उपयोगकर्ताओं को उनकी सेवाओं की सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ओटीटी वीडियो प्लेटफॉर्म को अपने ऑफर के हिस्से के रूप में बंडल कर रहे हैं। नियमित केबल टीवी चैनलों तक पहुंच प्रदान करने के अलावा उपभोक्ताओं को इंटरनेट और अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्मों से कनेक्ट करने में सक्षम बनाने वाले स्मार्ट टीवी के

future. Thus, with the convergence of technologies, broadband and telecom service providers are also tapping into the unprecedented growth of OTT services.

These operators are providing attractive pricing by bundling their services with free subscriptions of prominent OTT platforms. Further, it can be said that they are equipped to serve the preferential demands of consumers from across the country since the consumers have the facility of choosing regional channels that they wish to watch and pay for those only. However, these developments are at a nascent stage as of now but growing at a very fast pace. On the other hand, Cable TV services have the widest reach since these services are available even in the remotest corners of the country.

MONOPOLY/MARKET DOMINANCE THROUGH M&A AMONG MSOS/ LCOs

In the last consultation process, the Authority deliberated on the restrictions need to be framed for regulating the M&A/‘control’ of an entity over many MSOs/LCOs in a relevant market to address concerns of monopoly/market dominance based on market share. It was brought out that monopoly/market dominance can be an outcome of a merger amongst competing entities in the market, acquisition of ‘control’ over competing entities by a dominant entity, or natural growth based on services offered at lower prices, better service, innovative packaging, etc. The aspects related to the ‘control’ of an entity over many MSOs and formation of the ‘group’ through ‘control’ of an entity over many MSOs was also deliberated.

TRAI has noted that all merger and acquisitions are required to comply with the provisions of the Companies Act, 2013, except where separate procedure has been given under any special enactment for certain types of companies. Section 230 to Section 234 of the Competition Act 2013 provides the procedure for M&A. Section 230 provides the following procedure of holding meeting for the purpose of M&A:

“230. Power to compromise or make arrangements with creditors and members.—

(1) Where a compromise or arrangement is proposed—

(a) between a company and its creditors or any class of them; or

(b) between a company and its members or any class of them, the Tribunal may, on the application of the company or of any creditor or member of the company, or in the case of a company which is being wound up,

विकास के भविष्य में काफी बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार तकनीकियों के कर्न्जस के साथ ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवा प्रदाता भी ओटीटी सेवाओं के अभूतपूर्व विकास का दोहन कर रहे हैं।

ये ऑपरेटर प्रमुख ओटीटी प्लेटफार्म के मुफ्त सब्सक्रिप्शन के साथ अपनी सेवाओं को बंडल करके आकर्षक मूल्य प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि वे देश भर के उपभोक्ताओं की तरजीही मांगों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि उपभोक्ताओं के पास क्षेत्रीय चैनल चुनने की सुविधा है जिसे वे देखना चाहते हैं और केवल उन्हीं के लिए भुगतान करते हैं। हालांकि ये विकास अभी प्रारंभिक अवस्था में है लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी ओर केवल टीवी सेवाओं की पहुंच सबसे अधिक है क्योंकि ये सेवायें देश के दूरदराज के कोनों में भी उपलब्ध है।

एमएसओ/एलसीओ के बीच एमएंडए के माध्यम से एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व

अंतिम परामर्श प्रक्रिया में प्राधिकरण ने बाजार हिस्सेदारी के आधार पर एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व की चिंताओं को दूर करने के लिए संबंधित बाजार में कई एमएसओ/एलसीओ पर एक इकाई के एमएंडए को विनियमित करने के लिए प्रतिबंधों पर विचार-विमर्श किया। यह सामने लाया गया था कि एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व बाजार में प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बीच विलय का परिणाम हो सकता है, एक प्रमुख इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धी संस्थाओं पर नियंत्रण का अधिग्रहण या कम कीमतों पर दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर प्राकृतिक विकास, बेहतर सेवा, उत्कृष्ट पैकेजिंग आदि शामिल है। कई एमएसओ पर एक इकाई के नियंत्रण और कई एमएसओ पर एक इकाई के नियंत्रण के माध्यम से ‘समूह’ के गठन से संबंधित पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।

ट्राई ने नोट किया है कि सभी विलय और अधिग्रहण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए आवश्यक है, सिवाय इसके कि कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों के लिए किसी विशेष अधिनियम के तहत अलग प्रक्रिया दी गयी है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2013 की धारा 230 से धारा 234 एमएंडए के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 230 एमएंडए के उद्देश्य के लिए बैठक आयोजित करने की निम्नलिखित प्रक्रिया प्रदान करता है:

‘230। लेनदारों व सदस्यों के साथ समझौता करने या व्यवस्था करने की शक्ति—

(1) जहां समझौता या व्यवस्था प्रस्तावित है।

(ए) एक कंपनी और उसके लेनदारों या उनमें से किसी भी वर्ग के बीच, या

(बी) एक कंपनी और उसके सदस्यों या उनके किसी भी वर्ग के बीच टिब्यूनल, कंपनी के या किसी लेनदार या कंपनी के सदस्य के आवेदन पर या एक कंपनी के मामले में,

of the liquidator, appointed under this Act or under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), as the case may be, order a meeting of the creditors or class of creditors, or of the members or class of members, as the case may be, to be called, held and conducted in such manner as the Tribunal directs.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, arrangement includes a reorganisation of the company's share capital by the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into shares of different classes, or by both of those methods.

(2) The company or any other person, by whom an application is made under sub-section (1), shall disclose to the Tribunal by affidavit—

- (a) all material facts relating to the company, such as the latest financial position of the company, the latest auditor's report on the accounts of the company and the pendency of any investigation or proceedings against the company;
- (b) reduction of share capital of the company, if any, included in the compromise or arrangement;
- (c) any scheme of corporate debt restructuring consented to by not less than seventy-five per cent. of the secured creditors in value, including—
 - (i) a creditor's responsibility statement in the prescribed form;
 - (ii) safeguards for the protection of other secured and unsecured creditors;
 - (iii) report by the auditor that the fund requirements of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon the estimates provided to them by the Board;
 - (iv) where the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by the Reserve Bank of India, a statement to that effect; and
 - (v) a valuation report in respect of the shares and the property and all assets,

जो बंद हो रही है, परिसमापक, इस अधिनियम के तहत या दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (2016 का 31) के तहत नियुक्त, जैसा भी मामला हो, लेनदारों या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, की बैठक का आदेश दें। ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार इस तरह से बुलाया, आयोजित और संचालित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था में विभिन्न वर्गों के शेयरों के समेकन द्वारा या विभिन्न वर्गों के शेयरों में शेयरों के विभाजन द्वारा या उन दोनों तरीकों से कंपनी की शेयर पूंजी का पुर्नगठन शामिल है।

(2) कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके द्वारा उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया जाता है, इसका खुलासा ट्रिब्यूनल द्वारा हलफनामा के सहायता से की जायेगी—

- (ए) कंपनी से संबंधित सभी भौतिक तथ्य, जैसे कंपनी की नवीनतम वित्तीय स्थिति, कंपनी के खातों पर नवीनतम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और कंपनी के खिलाफ किसी भी जांच या कार्यवाही का लंबित होना,
- (बी) कंपनी की शेयर पूंजी में कमी, यदि कोई हो, समझौता या व्यवस्था में शामिल है,
- (सी) कॉर्पोरेट ऋण पुर्नगठन की किसी भी योजना को कम से कम पचहत्तर प्रतिशत द्वारा सहमति दी गयी है। मूल्य में सुरक्षित लेनदारों, जिसमें शामिल है
 - (i) निर्धारित प्रपत्र में एक लेनदार के उत्तरदायित्व का विवरण,
 - (ii) अन्य सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय
 - (iii) लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्ट कि कॉर्पोरेट ऋण पुर्नरचना के बाद कंपनी की निधि की आवश्यकतायें बोर्ड द्वारा प्रदान किये गये अनुमानों के आधार पर चलनिधि परीक्षण के अनुरूप होगी
 - (iv) जहां कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट कॉर्पोरेट ऋण पुर्नगठन दिशानिर्देशों को अपनाने का प्रस्ताव करती है, उस प्रभाव का एक विवरण, और
 - (v) एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा कंपनी के शेयरों और संपत्ति और सभी संपत्ति, मूर्त और

tangible and intangible, movable and immovable, of the company by a registered valuer.

- (3) *Where a meeting is proposed to be called in pursuance of an order of the Tribunal under subsection (1), a notice of such meeting shall be sent to all the creditors or class of creditors and to all the members or class of members and the debenture-holders of the company, individually at the address registered with the company which shall be accompanied by a statement disclosing the details of the compromise or arrangement, a copy of the valuation report, if any, and explaining their effect on creditors, key managerial personnel, promoters and non-promoter members, and the debenture-holders and the effect of the compromise or arrangement on any material interests of the directors of the company or the debenture trustees, and such other matters as may be prescribed: Provided that such notice and other documents shall also be placed on the website of the company, if any, and in case of a listed company, these documents shall be sent to the Securities and Exchange Board and stock exchange where the securities of the companies are listed, for placing on their website and shall also be published in newspapers in such manner as may be prescribed: Provided further that where the notice for the meeting is also issued by way of an advertisement, it shall indicate the time within which copies of the compromise or arrangement shall be made available to the concerned persons free of charge from the registered office of the company.*
- (4) *A notice under sub-section (3) shall provide that the persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either themselves or through proxies or by postal ballot to the adoption of the compromise or arrangement within one month from the date of receipt of such notice: Provided that any objection to the compromise or arrangement shall be made only by persons holding not less than ten per cent. of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than five per cent. of the total outstanding debt as per the latest audited financial statement.*

अमूर्त चल और अचल के संबंध में एक मूल्यांकन रिपोर्ट।

- (3) जहां उपधारा (1) के तहत ट्रिब्यूनल के एक आदेश के अनुसरण में एक बैठक बुलाये जाने का प्रस्ताव है, ऐसी बैठक की सूचना सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग और सभी सदस्य और सभी सदस्यों के वर्ग को भेजी जायेगी और कंपनी डिवेंचर धारक, व्यक्तिगत रूप से कंपनी के साथ पंजीकृत पते पर, जिसके साथ समझौता या व्यवस्था के विवरण का खुलासा करने वाला एक बयान, मूल्यांकन रिपोर्ट की एक प्रति, यदि कोई हो और लेनदारों पर उनके प्रभाव की व्याख्या करनी होगी, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, प्रमोटरों और गैर प्रमोटर सदस्यों और डिवेंचर धारकों और कंपनी के निदेशकों या डिवेंचर ट्रस्टियों के किसी भी भौतिक हितों पर समझौता या व्यवस्था का प्रभाव और ऐसे अन्य मामले, जो निर्धारित किये जा सकते हैं, वशर्त कि इस तरह की सूचना और अन्य दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर भी रखे जायेंगे, यदि कोई हो और सूचीबद्ध कंपनी के मामले में, इन दस्तावेजों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज को भेजा जायेगा, जहां कंपनियों को प्रतिभूतियों को उनके वेबसाइट पर रखने के लिए सूचीबद्ध किया गया है और समाचार पत्रों में भी इस तरह से प्रकाशित किया जायेगा, जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है, वशर्त कि जहां बैठक के लिए नोटिस भी एक विज्ञापन के माध्यम से जारी किया जाता है, यह इंगित करेगा कि वह समय जिसके भीतर समझौते या व्यवस्था कि प्रतियां संबंधित व्यक्तियों को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी।
- (4) उप-धारा (3) के तहत एक नोटिस यह प्रदान करेगा कि जिन व्यक्तियों को नोटिस भेजा गया है, वे बैठक में या तो स्वयं या प्रॉक्सी के माध्यम से या डाक मतपत्र द्वारा समझौता या व्यवस्था को ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से अपनाते के लिए एक महीने के भीतर मतदान कर सकते हैं। वशर्त कि समझौते या व्यवस्था पर कोई आपत्ति केवल दस प्रतिशत से कम न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा की जायेगी। नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल बकाया शेरधारिता या बकाया ऋण राशि के पांच प्रतिशत से कम नहीं है।
- (5) उप-धारा (3) के तहत एक नोटिस सभी दस्तावेजों के साथ

(5) A notice under sub-section (3) along with all the documents in such form as may be prescribed shall also be sent to the Central Government, the income-tax authorities, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board, the Registrar, the respective stock exchanges, the Official Liquidator, the Competition Commission of India established under sub-section (1) of section 7 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), if necessary, and such other sectoral regulators or authorities which are likely to be affected by the compromise or arrangement and shall require that representations, if any, to be made by them shall be made within a period of thirty days from the date of receipt of such notice, failing which, it shall be presumed that they have no representations to make on the proposals.

(6) Where, at a meeting held in pursuance of sub-section (1), majority of persons representing three fourths in value of the creditors, or class of creditors or members or class of members, as the case may be, voting in person or by proxy or by postal ballot, agree to any compromise or arrangement and if such compromise or arrangement is sanctioned by the Tribunal by an order, the same shall be binding on the company, all the creditors, or class of creditors or members or class of members, as the case may be, or, in case of a company being wound up, on the liquidator 1 [appointed under this act or under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), as the case may be,] and the contributories of the company...”

Thus, in terms of section 230 (5) of Competition Act 2013, for any M&A, companies are required to send a notice to Central Government, CCI, RBI, SEBI and such other sectoral regulators which might be affected by the said M&A, to give their representation for the proposed M&A.

Further, Section 6 of the Competition Act 2002 prohibits any combination (subject to thresholds as prescribed) which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India, unless the prior approval of the CCI is not obtained. Section 6(1) provides that no person or enterprise shall enter into a combination which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within the relevant market in India and such a combination shall be

ऐसे फॉर्म में, जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है, केंद्र सरकार, आयकर अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, रजिस्टार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंज, अधिकारक परिसमापक और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भी भेजा जायेगा। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 7 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित, यदि आवश्यक हो, और ऐसे अन्य क्षेत्रीय नियामक या प्राधिकरण जो समझौता या व्यवस्था से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं और उन्हें प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी, यदि कोई हो, तो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जायेगा, ऐसा न करने पर यह मान लिया जायेगा कि प्रस्तावों पर उनके पास कोई अभ्यावेदन नहीं है।

(6) जहां, उप-धारा (1) के अनुसरण में आयोजित बैठक में लेनदारों के मूल्य में तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश व्यक्ति या लेनदारों के वर्ग या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, में मतदान करते हैं, व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा या डाक मतपत्र द्वारा मतदान, किसी भी समझौते या व्यवस्था के लिए सहमत हैं और यदि ऐसा समझौता या व्यवस्था किसी आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो वह कंपनी सभी लेनदारों या लेनदारों के वर्ग पर बाध्यकारी होगी या सदस्यों या सदस्यों के वर्ग, जैसा भी मामला हो, या कंपनी के बंद होने की स्थिति में परिसमापक 1 पर (इस अधिनियम के तहत या इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (2016 का 31), जैसा भी मामला हो, और कंपनी के योगदान के तहत नियुक्त किया गया है....,

इस प्रकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2013 की धारा 230 (5) के अनुसार, किसी भी एमएंडए के लिए, कंपनियों को केंद्र सरकार, सीसीआई, आरबीआई, सेबी और ऐसे अन्य क्षेत्रीय नियामकों को नोटिस भेजने की आवश्यकता होती है जो उक्त एमएंडए से प्रभावित हो सकते हैं। प्रस्तावित विलय एवं अधिग्रहण के लिए अपना प्रतिनिधित्व दें।

इसके अलावा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 6 किसी भी संयोजन (निर्धारित सीमाओं के अधीन) को प्रतिबंधित करता है जो भारत में प्रासंगिक बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या होने की संभावना है, जब तक कि सीसीआई कि पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है। धारा 6(1) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति या उद्यम ऐसे संयोजन में प्रवेश नहीं करेगा जो भारत में प्रासंगिक बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक उल्लेखनीय

CONSULTATION PAPER

void. Section 6(2) provides for the approval of the CCI to proposed M&A and reads as under:

“(2) Subject to the provisions contained in subsection (1), any person or enterprise, who or which proposes to enter into a combination, shall give notice to the Commission, in the form as may be specified, and the fee which may be determined, by regulations, disclosing the details of the proposed combination, within thirty days of—

- (a) approval of the proposal relating to merger or amalgamation, referred to in clause (c) of section 5, by the board of directors of the enterprises concerned with such merger or amalgamation, as the case may be;
- (b) execution of any agreement or other document for acquisition referred to in clause (a) of section 5 or acquiring of control referred to in clause (b) of that section.”

However, what constitutes combination for the purpose of Section 6 has been defined under Section 5. Section 5 of the Competition Act 2002 reads as under:

“5. **Combination.**—The acquisition of one or more enterprises by one or more persons or merger or amalgamation of enterprises shall be a combination of such enterprises and persons or enterprises, if—

- (a) any acquisition where—
- (i) the parties to the acquisition, being the acquirer and the enterprise, whose control, shares, voting rights or assets have been acquired or are being acquired jointly have,—
- (A) either, in India, the assets of the value of more than rupees one thousand crores or turnover more than rupees three thousand crores; or
- (B) in India or outside India, in aggregate, the assets of the value of more than five hundred million US dollars or turnover more than fifteen hundred million US dollars; or
- (ii) the group, to which the enterprise whose control, shares, assets or voting rights have been acquired or are being acquired, would belong after the acquisition, jointly have or would jointly have,—

प्रभाव डालता है या होने की संभावना है औ ऐसा संयोजन शून्य होगा। धारा 6(2) प्रस्तावित एमएंडए के लिए सीसीआई के अनुमोदन का प्रावधान करती है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी व्यक्ति या उद्यम, जो या जो कि एक संयोजन में प्रवेश करने का प्रस्ताव करता है, आयोग को नोटिस देगा, जैसाकि निर्दिष्ट किया जा सकता है, और शुल्क, जो निर्धारित किया जा सकता है, नियमों द्वारा, प्रस्तावित संयोजन के विवरण का खुलासा तीस दिन के भीतर—

(ए) खंड में संदर्भित विलय या समामेलन से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन (सी) धारा 5 के, इस तरह के विलय या समामेलन से संबंधित उद्यमों के निदेशक मंडल द्वारा, जैसा भी मामला हो,

(बी) खंड में संदर्भित अधिग्रहण के लिए किसी समझौते या अन्य दस्तावेज का निष्पादन (ए) धारा 5 का या उस खंड के खंड (बी) में निर्दिष्ट नियंत्रण प्राप्त करना।

हालांकि 6 के उद्देश्य के लिए संयोजन का गठन धारा 5 के तहत परिभाषित किया गया है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5 इस प्रकार है:

‘5 **संयोजन** - एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक या अधिक उद्यमों का अधिग्रहण या उद्यमों का विलय या समामेलन ऐसे उद्यमों और व्यक्तियों या उद्यमों का संयोजन होगा, यदि :

(ए) कोई अधिग्रहण, जहां

(1) अधिग्रहण के पक्षकार, अधिग्रहणकर्ता और उद्यम होने के नाते, जिनके नियंत्रण, शेयर, वोटिंग अधिकार या संपत्ति अर्जित की गयी है या संयुक्त रूप से अर्जित की जा रही है:

(ए) या तो, भारत में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, या

(बी) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर, पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या 15 सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार या

(2) वह समूह जिसके लिए उद्यम जिसका नियंत्रण, शेयर, संपत्ति या वोटिंग अधिकार अर्जित किया गया है या अधिग्रहण किया जा रहा है, अधिग्रहण के बाद होगा, संयुक्त रूप से होगा या होगा,

CONSULTATION PAPER

- (A) *either in India, the assets of the value of more than rupees four thousand crores or turnover more than rupees twelve thousand crores; or*
- (B) *in India or outside India, in aggregate, the assets of the value of more than two billion US dollars or turnover more than six billion US dollars; or*
- (b) *acquiring of control by a person over an enterprise when such person has already direct or indirect control over another enterprise engaged in production, distribution or trading of a similar or identical or substitutable goods or provision of a similar or identical or substitutable service, if—*
- (i) *the enterprise over which control has been acquired along with the enterprise over which the acquirer already has direct or indirect control jointly have,—*
- (A) *either in India, the assets of the value of more than rupees one thousand crores or turnover more than rupees three thousand crores; or*
- (B) *in India or outside India, in aggregate, the assets of the value of more than five hundred million US dollars or turnover more than fifteen hundred million US dollars; or*
- (ii) *the group, to which enterprise whose control has been acquired, or is being acquired, would belong after the acquisition, jointly have or would jointly have,—*
- (A) *either in India, the assets of the value of more than rupees four thousand crores or turnover more than rupees twelve thousand crores; or*
- (B) *in India or outside India, in aggregate, the assets of the value of more than two billion US dollars or turnover more than six billion US dollars; or*
- (c) *any merger or amalgamation in which—*
- (i) *the enterprise remaining after merger or the enterprise created as a result of the amalgamation, as the case may be, have,—*
- (A) *either in India, the assets of the value of*
- (ए) या तो भारत में, चार हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या
- (बी) भारत में या भारत के बाहर, कुल मिलाकर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या छह अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार, या
- (वी) एक उद्यम पर किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रण प्राप्त करना, जब ऐसे व्यक्ति का पहले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य समान के उत्पादन, वितरण या व्यापार में लगे किसी अन्य उद्यम पर नियंत्रण या समान या समान या प्रतिस्थापन योग्य सेवा का प्रावधान है, अगर
- (1) वह उद्यम जिसपर उद्यम के साथ-साथ नियंत्रण प्राप्त कर लिया गया है जिस पर अधिग्रहणकर्ता का पहले से ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त रूप से नियंत्रण है,
- (ए) या तो भारत में एक हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, या
- (बी) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर, पांच सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार, या
- (2) समूह, जिस उद्यम का नियंत्रण हासिल किया गया है, या अधिग्रहण किया जा रहा है, अधिग्रहण के बाद होगा, संयुक्त रूप से होगा या होगा,
- (ए) या तो भारत में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या
- (बी) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या छह अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या छह अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार या
- (सी) कोई विलय या समामेलन जिसमें,
- (1) विलय के बाद बचा हुआ उद्यम या समामेलन के परिणामस्वरूप बनाया गया उद्यम, जैसाभी मामला हो

CONSULTATION PAPER

more than rupees one thousand crores or turnover more than rupees three thousand crores; or

(B) in India or outside India, in aggregate, the assets of the value of more than five hundred million US dollars or turnover more than fifteen hundred million US dollars; or

(ii) the group, to which the enterprise remaining after the merger or the enterprise created as a result of the amalgamation, would belong after the merger or the amalgamation, as the case may be, have or would have,—

(A) either in India, the assets of the value of more than rupees four-thousand crores or turnover more than rupees twelve thousand crores; or

(B) in India or outside India, the assets of the value of more than two billion US dollars or turnover more than six billion US dollars...”

CCI only regulates the M&A that are beyond the threshold prescribed under Section 5 of the Competition Act 2002. However, one may opine that in case of MSOs, most of the smaller MSOs may not have turnover/profit above such thresholds. Thus, their M&A may not be covered by the provisions of Competition Act, 2002.

There can be an opinion that once the M & A are scrutinized under the Companies Act and the Competition Act, the oversight/ intervention of sector regulator may not be warranted. However, there are instances like telecom sector and insurance sector where sector regulator/ licensor has prescribed oversight provisions. Insurance Act 1938 provides for obtaining the prior approval of IRDAI when the insurance company transfers its shares to another company (which may or may not be insurance company). This transfer of shares may be in pursuance to M&A, or any other scheme or arrangement. Section 6A(4)(b) of the Act reads as under:

“(4) A public company as aforesaid which carries on life insurance business, general and health insurance business and re-insurance business—

(b) shall not register any transfer of its shares—

(i) unless, in addition to compliance being made with the provisions of section 56 of

(ए) या तो भारत में, एक हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार या

(बी) भारत में या भारत के बाहर कुल मिलाकर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या पंद्रह सौ मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार या

(2) समूह, जिसमें विलय के बाद शेष उद्यम या समामेलन के परिणामस्वरूप बनाया गया उद्यम, विलय या समामेलन के बाद जैसा भी मामला हो, होगा या होगा

(ए) या तो भारत में चार हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति या बारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार, या

(बी) भारत में या भारत के बाहर दो अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति या छह अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का कारोबार,

सीसीआई केवल एमएंडए को नियंत्रित करता है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निर्धारित सीमा से अधिक है। हालांकि, कोई यह मान सकता है कि एमएसओ के मामले में, अधिकांश छोटे एमएसओ का टर्नओवर/लाभ ऐसी सीमा से अधिक नहीं हो सकता है। इस प्रकार उनके एमएंडए को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के प्रावधानों द्वारा कवर नहीं किया जा सकता है।

एक राय यह हो सकती है कि एक बार कंपनी अधिनियम और प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत एमएंडए की जांच हो जाने के बाद क्षेत्र नियामक की निगरानी/हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि दूरसंचार क्षेत्र और बीमा क्षेत्र जैसे उदाहरण हैं जहां क्षेत्र नियामक/लाइसेंसकर्ता ने निरीक्षण प्रावधान निर्धारित किये हैं। बीमा अधिनियम 1938 आई आरडीएआई की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान करता है जब बीमा कंपनी अपने शेयरों को किसी अन्य कंपनी (जो बीमा कंपनी हो भी सकती है और नहीं भी) को हस्तांतरित करती है। शेयरों का यह हस्तांतरण एमएंडए या किसी अन्य योजना या व्यवस्था के अनुसरण में हो सकता है। अधिनियम की धारा 6ए(4)(बी) इस प्रकार है:

‘(4) पूर्वोक्त के रूप में एक सार्वजनिक कंपनी जो जीवन बीमा व्यवसाय, सामान्य व स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय करती है।’

(बी) अपने शेयरों के किसी भी हस्तांतरण को पंजीकृत नहीं करेगा-

the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the transferee furnishes a declaration in the prescribed form as to whether he proposes to hold the shares for his own benefit or as a nominee, whether jointly or severally, on behalf of others and in the latter case giving the name, occupation and address of the beneficial owner or owners, and the extent of the beneficial interest of each;

(ii) where, after the transfer, the total paid-up holding of the transferee in the shares of the company is likely to exceed five per cent. of its paid-up capital unless the previous approval of the Authority has been obtained to the transfer;

(iii) where, the nominal value of the shares intended to be transferred by any individual, firm, group, constituents of a group, or body corporate under the same management, jointly or severally exceeds one per cent. of the paid-up equity capital of the insurer, unless the previous approval of the Authority has been obtained for the transfer.”

Thus, the Insurance Act 1938 itself makes special provisions for obtaining the prior approval of IRDAI whenever shares of the insurance company crossing certain specified threshold are transferred to any other company. Pursuant to above provisions, the IRDAI issued the IRDAI (Transfer of Equity Shares of Insurance Companies) Regulations, 2015 which prescribe the procedure to be followed by Indian insurance companies for obtaining the approval of the IRDAI for a transfer of shares.

It may be noted that the Authority in its Recommendations dated 26th November 2013 noted that some MSOs had been acquiring market share and scaling up their operations through M&A with other MSOs/LCOs in the relevant market. A few of them had already acquired dominant positions in various States through this route. Restrictions were required to be framed to prevent an entity from building dominant positions in the TV channel distribution market through M&A among competing entities. The Authority also noted that the World over restrictions were imposed on M&A among competing entities to facilitate competition and promote efficiency. Internationally, restrictions on M&A have been prescribed based on the HHI value of the relevant market and the impact M&A is likely to have on the level of competition in the market. In

- (1) जब तक, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) की धारा 56 के प्रावधानों के अनुपालन के अलावा अंतरिती निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि क्या वह अपने लिए शेयरों को रखने का प्रस्ताव करता है लाभ या नामांकित व्यक्ति के रूप में, चाहे वह संयुक्त रूप से या अलग-अलग दूसरों की ओर से और बाद के मामले में लाभार्थी मालिक या मालिकों का नाम, व्यवसाय और पता और प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा।
- (2) जहां स्थानांतरण के बाद, कंपनी के शेयरों में अंतरिती की कुल चुकता धारिता पांच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। इसकी चुकता पूंजी का जब तक कि हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण का पिछला अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।
- (3) जहां एक ही प्रबंधन के तहत किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, समूह के घटकों या निगमित निकाय द्वारा हस्तारित किये जाने वाले शेयरों का नाममात्र मूल्य, संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक प्रतिशत से अधिक हो। वीमाकर्ता की चुकता इक्विटी पूंजी का, जब तक कि हस्तांतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।’

इस प्रकार वीमा अधिनियम 1938 स्वयं ही आईआरडीआई की पूर्वानुमति प्राप्त करने के लिए विशेष प्रावधान करता है, जब भी वीमा कंपनी के शेयर कुछ निर्दिष्ट सीमा को पार करते हुए किसी अन्य कंपनी को हस्तांतरित किये जाते हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में आई आरडीआई ने आईआरडीआई (वीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का हस्तांतरण) विनियम, 2015 जारी किया जो शेयरों के हस्तांतरण के लिए आईआरडीआई की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भारतीय वीमा कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2013 की अपनी सिफारिशों में उल्लेख किया था कि कुछ एमएसओ बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रहे थे और संबंधित बाजार में अन्य एमएसओ/एलसीओ के साथ एमएंडए के माध्यम से अपने परिचालन को बढ़ा रहे थे। उनमें से कुछ ने पहले ही इस मार्ग के माध्यम से विभिन्न राज्यों में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बीच एमएंडए के माध्यम से टीवी चैनल वितरण बाजार में एक इकाई को प्रमुख स्थान बनाने से रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता थी। प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि प्रतिस्पर्धी को सुविधाजनक बनाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के बीच एमएंडए पर विश्वभर में प्रतिबंध लगाये गये थे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंधित बाजार के एचएचआई मूल्य के आधार पर एमएंडए पर प्रतिबंध निर्धारित किये गये हैं और एमएंडए के बाजार में प्रतिस्पर्धा के स्तर पर प्रभाव पड़ने की संभावना

CONSULTATION PAPER

order to address the issue of monopoly/market dominance through M&A among MSOs, the Authority in its Recommendations dated 26th November 2013 had recommended the following:

- (a) Any M&A among MSO(s) or between a MSO and LCO in a relevant market shall require the prior approval of the regulator. The decision on any proposal, complete in all aspects, shall be conveyed within 90 working days.
- (b) Such proposals of M&A shall be approved, provided the following two conditions are satisfied:
1. Post-M&A the contribution of resultant entity to the market HHI does not exceed 2500, and
 2. Depending on the value of the post-M&A market HHI, any one of the following conditions are met:
 - (i) either the post-M&A HHI of that market is less than 2000, or
 - (ii) in cases where the post-M&A market HHI is between 2000 and 3300, the proposed M&A does not result in an increase in market HHI (delta) by more than 250 points, or
 - (iii) in cases where the post-M&A market HHI is beyond 3300, the proposed M&A does not result in an increase in market HHI (delta) by more than 100 points.

In view of the provisions of the Companies Act 2013 and Insurance Act 1938 mentioned above, the following measures may help in controlling any monopolistic protectives that may result as a consequence of M&A:

- 1) Even though Companies Act 2013 provides for giving notice to the Central Government and concerned Regulators, it is applicable only when both entities are registered companies. So, for any M&A or scheme where both MSOs are not registered companies, Central Government and TRAI may not get any notice. Therefore, one may opine that a provision may be made which mandate all MSOs to give notice to Central Government and/or TRAI before any M&A, control or other similar transactions are affected. Further, it may be noted that DoT Guidelines 2014 already provides for such prior notice in telecom space. This would give an opportunity to Central Government/TRAI to take necessary action, if need be. If it is seen that for M&As happening under Companies Act 2013,

है। एमएसओ के बीच एमएंडए के माध्यम से एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व के मुद्दे को संबोधित करने के लिए प्राधिकरण ने 26 नवंबर 2013 की अपनी सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिश की थी:

(ए) एमएसओ (एस) के बीच या संबंधित बाजार में एमएसओ और एलसीओ के बीच किसी भी एमएंडए को नियामक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी पहलुओं में पूर्ण किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय 90 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जायेगा।

(बी) एमएंडए के ऐसे प्रस्तावों को मंजूरी दी जायेगी, बशर्ते निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों:

1. एमएंडए के बाद बाजार में परिणामी इकाई का योगदान एचएचआई 2500 से अधिक नहीं हो और

2. एमएंडए बाजार के बाद एचएचआई के मूल्य आधार पर निम्नलिखित में से कोई शर्त पूरी होती है।

(i) या तो उस बाजार का एमएंडए एचएचआई 2000 से कम है या

(ii) ऐसे मामलों में जहां पोस्ट एमएंडए बाजार एचएचआई 2000 और 3300 के बीच है, प्रस्तावित एमएंडए के परिणामस्वरूप बाजार एचएचआई (डेल्टा) में 250 अंकों से अधिक की वृद्धि नहीं होती है या

(iii) ऐसे मामलों में जहां पोस्ट एमएंडए बाजार एचएचआई 3300 से अधिक है, प्रस्तावित एमएंडए के परिणामस्वरूप बाजार एचएचआई (डेल्टा) में 100 अंकों से अधिक की नहीं वृद्धि होती है।

ऊपर उल्लेखित कंपनी अधिनियम 2013 और बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित उपाय किसी भी एकाधिकार सुरक्षा को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप एमएंडए का परिणाम हो सकता है।

- 1) भले ही कंपनी अधिनियम 2013 केंद्र सरकार और संबंधित नियामकों को नोटिस देने का प्रावधान करता है, यह तभी लागू होता है जब दोनों संस्थायें पंजीकृत कंपनियां हो। इसलिए, किसी भी एमएंडए या योजना के लिए जहां दोनों एमएसओ पंजीकृत कंपनियां हों। इसलिए किसी भी एमएंडए या योजना के लिए जहां दोनों एमएसओ पंजीकृत कंपनियां नहीं हैं, केंद्र सरकार और ट्राई को कोई नोटिस नहीं मिल सकता है। इसलिए कोई यह सोच नहीं सकता है कि एक प्रावधान किया जा सकता है जो सभी एमएसओ को किसी किसी भी एमएंडए, नियंत्रण या अन्य समान लेनदेन प्रभावित होने से पहले केंद्र सरकार और/या ट्राई को नोटिस देने के लिए अनिवार्य करता है। इसके अलावा यह ध्यान दिया जा सकता है कि दूरसंचार विभाग के दिशानिर्देश 2014 से पहले से ही दूरसंचार क्षेत्र में इस तरह की पूर्व सूचना का प्रावधान है। इससे केंद्र सरकार/ट्राई को जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई करने का मौका मिलेगा। यदि यह देखा जाता है कि कंपनी अधिनियम

Central Government and TRAI is not receiving notices for their representation, Central Govt. may release a notification/press release that sending of such notices to Central Govt./TRAI is mandatory by MSOs under the provisions of the Companies Act 2013. This would allow Central Govt./TRAI to put forth their stance before National Company Law Tribunal (NCLT) prior to approval of any such scheme by NCLT.

- 2) Provisions may also be made which mandate a new MSO to be in service for minimum number of years/months before it can become eligible for M&A. This would allow new small MSOs to continue their operations and may act as a shield against the bigger and dominant MSOs which may try to acquire the new MSO at its beginning stage itself.
- 3) Restrictions can be placed on MSOs to acquire shares/voting rights/control in other MSOs. So, provisions can be made that one MSO can have stake in only three/four other MSOs or it can acquire stake in two (or any other number) other MSOs in a year, except with the approval of the Central Govt./TRAI. This would also act as a shield against bigger MSOs controlling all other MSOs in a given area.
- 4) Provisions, if necessary, can also be made which require that no M&A can take place without prior approval if number of MSOs in defined areas would go under certain threshold (say four MSOs). This provision is to ensure that minimum number of MSOs remain in an area to prevent monopolization.
- 5) Provisions may be made for clarifying that there shall be no automatic merger of licence/registration unless fresh application is made to MIB. A time period for taking such approvals may also be provided. Central Govt. may deny/regulate license given to the resulting entity after such M&A.

EFFECT OF M&A ON EASE OF DOING BUSINESS:

It is critical to ensure that any policy initiative do not create unnecessary obstacles to trade, investments, and country's reputation on 'Ease of Doing Business'. More than ever before, now there is an abundant need for a multilateral approach on policies, building a stable and predictable regulatory regime to support the Government's vision to make India emerge as the most preferred country in the present geopolitical and geo-economic context. There has been a consistent demand from large global investors,

2013 के तहत होने वाले एमएंडए के लिए, केंद्र सरकार और ट्राई को उनके प्रतिनिधित्व के लिए नोटिस प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो केंद्र सरकार एक अधिसूचना/प्रेस विज्ञापित जारी कर सकती है कि केंद्र सरकार/ट्राई को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत ऐसे नोटिस भेजना एमएसओ द्वारा अनिवार्य है। यह केंद्र सरकार/ट्राई को एनसीएलटी द्वारा ऐसी किसी भी योजना के अनुमोदन से पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष अपना रुख रखने की अनुमति देगा।

- 2) ऐसे प्रावधान भी किये जा सकते हैं जो कि एक नये एमएसओ को एमएंडए के लिए पात्र बनाने से पहले न्यूनतम वर्षों/महीनों के लिए सेवा में रहने के लिए अनिवार्य करता है। यह नये छोटे एमएसओ को अपना संचालन जारी रखने की अनुमति देगा और बड़े व प्रभावशाली एमएसओ के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य कर सकता है जो नये एमएसओ को अपने शुरूआती चरण में ही हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं।
- 3) अन्य एमएसओ में शेयर/मतदान अधिकार/नियंत्रण हासिल करने के लिए एमएसओ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसलिए, प्रावधान किया जा सकता है कि एक एमएसओ के पास केवल तीन/चार अन्य एमएसओ में हिस्सेदारी हो सकती है या यह केंद्र सरकार/ट्राई के अनुमोदन को छोड़कर, एक वर्ष में दो (या किसी अन्य संख्या में) अन्य एमएसओ में हिस्सेदारी हासिल कर सकता है। यह किसी दिये गये क्षेत्र में अन्य सभी एमएसओ को नियंत्रित करने वाले बड़े एमएसओ के खिलाफ एक ढाल के रूप में कार्य करेगा।
- 4) यदि आवश्यक हो तो प्रावधान भी किये जा सकते हैं जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी एमएंडए पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं हो सकता है यदि परिभाषित क्षेत्रों में एमएसओ की संख्या निश्चित सीमा (चार एमएसओ) के अंतर्गत आती है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एक क्षेत्र में एकाधिकार रोकने के लिए एमएसओ की न्यूनतम संख्या बनी रहे।
- 5) यह स्पष्ट करने के लिए प्रावधान किये जा सकते हैं कि लाइसेंस/पंजीकरण का कोई स्वतः विलय नहीं होगा जब तक कि एमआईवी को नया आवेदन नहीं किया जाता है। ऐसी मंजूरी लेने के लिए एक समान अवधि भी प्रदान की जा सकती है। केंद्र सरकार ऐसे एमएंडए के बाद परिणामी इकाई को दिये गये लाइसेंस को अस्वीकार/विनियमित कर सकता है।

व्यापार करने में आसानी पर एमएंडए का प्रभाव

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि कोई भी नीतिगत पहल व्यापार, निवेश और ईज ऑफ डुईंग बिजनेस पर देश की प्रतिष्ठा के लिए अनावश्यक बाधाये पैदा न करे। वर्तमान भू-राजनीतिक और भू आर्थिक संदर्भ में भारत को सबसे पसंदीदा देश के रूप में उभरने के लिए सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमेय नियामक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए पहले से कहीं अधिक अव नीतियों पर

who have made significant investments in India, and are committed towards long-term business, manufacturing, employment creation for regulatory reforms, reducing the compliance burden, and building a predictable and consistent regulatory regime in India besides ensuring ease of compliance.

MIB in its back reference dated 19th February 2021 has also shown concern that whether TRAI's recommendation on M&A would affect ease of doing business. Relevant text from MIB's back reference is reproduced below:

“In the TRAI recommendations it has not been stated that whether TRAI's recommendation on M&A would affect ease of doing business.”

MONOPOLY/MARKET DOMINANCE THROUGH 'CONTROL' AMONG MSOS/LCOS

DEFINITION OF 'CONTROL'

During the last consultation process, the Authority also deliberated on the definition of Control. It was emerged that the definition of 'control' should be expanded by harmonizing the definition of the concept across the Competition Act and SEBI's takeover regulations.

The definitions of 'control' and 'group', as given in clauses (a) and (b) of Section 5 of the Competition Act 2002, are reproduced below:

“(a) ‘control’ includes controlling the affairs or management by—

- (i) one or more enterprises, either jointly or singly, over another enterprise or group;*
- (ii) one or more groups, either jointly or singly, over another group or enterprise;*

(b) ‘group’ means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to –

- (i) exercise twenty-six per cent or more of the voting rights in the other enterprise; or*
- (ii) appoint more than fifty per cent of the members of the board of directors in the other enterprise; or*
- (iii) control the management or affairs of the other enterprise;”*

According to Notification 481 (E) passed on 4th March 2011, the following changes were made to the above-mentioned clauses:

एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण की प्रचुर आवश्यकता है। बड़े वैश्विक निवेशकों की लगातार मांग रही है, जिन्होंने भारत में महत्वपूर्ण निवेश किया है और दीर्घकालिक व्यापार, विनिर्माण, विनिमय सुधारों के लिए रोजगार सृजन, अनुपालन बोझ को कम करने, और अनुपालन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्वानुमेय और सुसंगत नियामक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एमआईबी ने 19 फरवरी 2021 के अपने बैंक रेफ्रेंस में यह चिंता व्यक्त की है कि क्या एमएंडए पर ट्राई की सिफारिश से व्यापार करने में आसानी प्रभावित होगी। एमआईबी के पिछले रेफ्रेंस में प्रासंगिक पाठ नीचे प्रस्तुत किया गया है:

‘ट्राई की सिफारिशों में यह नहीं कहा गया है कि एमएंडए पर ट्राई की सिफारिश से व्यापार करने में आसानी प्रभावित होगी।’

एमएसओ/एलसीओ के बीच नियंत्रण के माध्यम से एकाधिकार/बाजार प्रभुत्व 'नियंत्रण की परिभाषा'

पिछली परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण ने नियंत्रण की परिभाषा पर भी विचार किया। यह सामने आया था कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम और सेबी के अधिग्रहण नियमों में अवधारणा की परिभाषा को सामंजस्य बनाकर नियंत्रण की परिभाषा का विस्तार किया जाना चाहिए।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5 के खंड (ए) और (बी) में दी गयी नियंत्रण और समूह की परिभाषा नीचे दी गयी है

(ए) नियंत्रण में मामलों या प्रबंधन को नियंत्रित करना शामिल है

(1) एक या अधिक उद्यम, संयुक्त रूप से या अकेले, दूसरे समूह और उद्योग पर

(1) एक या अधिक उद्यम, संयुक्त रूप से या अकेले, दूसरे समूह और उद्योग पर

(बी) समूह का अर्थ दो या दो से अधिक उद्यम है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस स्थिति में है कि

(1) अन्य उद्यम में छब्बीस प्रतिशत या अधिक मतदान अधिकारों का प्रयोग करें या

(2) अन्य उद्यम में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों को नियुक्त करना या

(3) अन्य उद्यम के प्रबंधन या मामलों को नियंत्रित करे।

4 मार्च 2011 को पारित अधिसूचना 481 (ई) के अनुसार उपर्युक्त खंडों में निम्नलिखित परिवर्तन किये गये थे।

‘प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 (2003 का 12) की धारा 54 के खंड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार

“In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 54 of the Competition Act, 2002 (12 of 2003), the Central Government, in public interest, hereby exempts the ‘Group’ exercising less than fifty per cent of voting rights in other enterprise from the provisions of Section 5 of the said Act for a period of five years.”

In this regard, it is also worth noting the definition of ‘control’ in Regulation 2(1)(e) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations 2011 (‘Takeover Code’), which also emphasizes on the importance of agreements between parties that could significantly contribute to control:

“Control includes the right to appoint the majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.”

In addition to considering the definition of ‘control’ given in the Competition Act and the SEBI takeover regulations, the definitions of ‘associated company’, ‘control’, ‘subsidiary’ and ‘relatives’ as given in the Companies Act 2013 are also relevant for regulating market dominance through ‘control’ of the competing entities. These are reproduced below:

“(6) ‘associate company’, in relation to another company, means a company in which that other company has a significant influence, but which is not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company.

Explanation.—For the purposes of this clause, ‘significant influence’ means control of at least twenty per cent. of total share capital, or of business decisions under an agreement;”

“(27) ‘control’ shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner;”

“(77) ‘relative’, with reference to any person, means anyone who is related to another, if—

जनहित में, पचास प्रतिशत से कम मतदान अधिकारों का प्रयोग करने वाले समूह को छूट देती है। अन्य उद्यम में उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों से पांच वर्ष की अवधि के लिए।’

इस संबंध में सेबी (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और अधिग्रहण) विनियम 2011 (टेकओवर कोड) के विनियम 2(1) (ई) में नियंत्रण की परिभाषा को भी ध्यान देने योग्य है, जो महत्व पर भी जोर देता है पार्टियों के बीच समझौते जो नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

‘नियंत्रण में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है, जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संगीत कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर प्रयोग किये जा सकते हैं या किसी अन्य तरीके से।’

प्रतिस्पर्धा अधिनियम और सेबी अधिग्रहण नियमों में दी गयी नियंत्रण की परिभाषा पर विचार करने के अलावा कंपनी अधिनियम 2013 में दी गयी संबद्ध कंपनी, नियंत्रण, सहायक और रिश्तेदारों की परिभाषायें भी प्रासंगिक हैं। प्रतिस्पर्धा संस्थाओं के नियंत्रण के माध्यम से बाजार प्रभुत्व को विनियमित करने के लिए। इन्हें नीचे फिर से प्रस्तुत किया गया है—

‘(6) ‘सहयोगी कंपनी, किसी अन्य कंपनी के संबंध में एक ऐसी कंपनी का अर्थ है जिसमें उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी भी शामिल है।’

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रायोजन के लिए ‘महत्वपूर्ण प्रभाव’ का अर्थ है कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण। कुल शेयर पूंजी या ऐसे समझौते के तहत व्यावसायिक निर्णयों का।’

‘(27) ‘नियंत्रण’ में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार शामिल है। या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते या किसी अन्य तरीके से।’

‘(77) ‘रिश्तेदार’ किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में’ का अर्थ है कोई भी जो दूसरे से संबंधित है अगर—

- (i) they are members of a Hindu Undivided Family;
- (ii) they are husband and wife; or
- (iii) one person is related to the other in such manner as may be prescribed;”

“(87) “subsidiary company” or “subsidiary”, in relation to any other company (that is to say the holding company), means a company in which the holding company—

- (i) controls the composition of the Board of Directors; or
- (ii) exercises or controls more than one-half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies:

Provided that such class or classes of holding companies as may be prescribed shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be prescribed.

Explanation.—For the purposes of this clause,—

- (a) a company shall be deemed to be a subsidiary company of the holding company even if the control referred to in sub-clause (i) or sub-clause (ii) is of another subsidiary company of the holding company;
- (b) the composition of a company’s Board of Directors shall be deemed to be controlled by another company if that other company by exercise of some power exercisable by it at its discretion can appoint or remove all or a majority of the directors;
- (c) the expression “company” includes anybody corporate;
- (d) “layer” in relation to a holding company means its subsidiary or subsidiaries;”

The definition for associate could be further extended by including one aspect of the Meaning of Associated Enterprise as given in Clause 2 (c) of Section 92A in Chapter X of the Income Tax Act 1961 as follows:

“Two enterprises shall be deemed to be associated enterprises if a loan advanced by one enterprise to the other enterprise constitutes not less than 51% of the book value of the total assets of the other enterprise.”

This suggests that if the loan advanced by an enterprise is a substantial amount (more than half of assets), then this can amount to exercise of significant influence

- (i) वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं
- (ii) वे पति व पत्नी हैं, या
- (iii) एक व्यक्ति दूसरे से इस तरह संबंधित है जैसाकि निर्धारित किया जा सकता है।

“(87) ‘सहायक कंपनी’ या ‘सहायक’, किसी अन्य कंपनी के संबंध में (यानी होल्डिंग कंपनी) का मतलब ऐसी कंपनी से है जिसमें होल्डिंग कंपनी—

- (i) निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करता है या
- (ii) कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक का या तो स्वयं या अपनी एक या अधिक सहायक कंपनियों के साथ प्रयोग या नियंत्रित करता है।

बशर्ते कि होल्डिंग कंपनियों के ऐसे वर्ग या वर्ग के रूप में निर्धारित किया जा सकता है जिसमें निर्धारित संख्या से अधिक सहायक कंपनियों की परतें नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण— इस खंड के प्रायोजन के लिए—

- (ए) एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी माना जायेगा, भले ही उप-खंड (1) या उप-खंड (2) में निर्दिष्ट नियंत्रण होल्डिंग कंपनी की किसी अन्य सहायक कंपनी का हो,
- (बी) एक कंपनी की निदेशक मंडल की संरचना को किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित माना जायेगा यदि वह अन्य कंपनी अपने विवेक पर कुछ शक्ति का प्रयोग करके सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है।
- (सी) अभिव्यक्ति ‘कंपनी’ में कोई भी कॉर्पोरेट शामिल नहीं है
- (डी) एक होल्डिंग कंपनी के संबंध में ‘लेयर’ का अर्थ है इसकी सहायक या सहायक कंपनियां।

एसोसिएटेड एंटरप्राइज का अर्थ के एक पहलू को शामिल करके एसोसिएट की परिभाषा को आगे बढ़ाया जा सकता है जैसाकि आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय एक्स में धारा 92ए के खंड 2 (सी) में दिया गया है।

‘दो उद्यमों को संबद्ध उद्यम माना जायेगा यदि एक उद्यम द्वारा दूसरे उद्यम को दिया गया ऋण दूसरे उद्यम की कुल संपत्ति के बूक वैल्यू के कम से कम 51 प्रतिशत का गठन करता है।’

इससे पता चलता है कि यदि किसी उद्यम द्वारा दिया गया ऋण पर्याप्त राशि (संपत्ति के आधे से अधिक) है, तो यह दूसरे उद्यम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के बराबर हो सकता है जो उनके संबद्ध उद्यम कहे जाने के लिए पर्याप्त है।

CONSULTATION PAPER

over the other enterprise, sufficient enough for them to be termed associated enterprises.

Keeping in view the definition of 'control' and 'group' as defined in the Competition Act, 2002, SEBI regulations, Income Tax Act 1961 and the Companies Act 2013, the Authority in 2013 had recommended that an entity is said to 'control' a MSO/LCO and the business decisions thereby taken, if the entity, directly or indirectly through associate companies, subsidiaries and/or relatives:

- (a) Owns at least twenty per cent of total share capital of that MSO/LCO. In case of indirect shareholding by an entity in MSO(s), extent of ownership would be calculated using the multiplicative rule. For example, an entity who owns, say, 30% equity in Company A, which in turn owns 20% equity in Company B, then the entity's indirect holding in Company B is calculated as 30% * 20%, which is 6%.; Or
- (b) *exercises de jure control by means of:*
- (i) *having not less than fifty per cent of voting rights in the MSO/LCO; or*
- (ii) *appointing more than fifty per cent of the members of the board of directors in the MSO/LCO; or*
- (iii) *controlling the management or affairs through decision making in strategic affairs of the MSO/LCO and appointment of key managerial personnel; or*
- (c) *exercises de facto control by means of being a party to agreements, contracts and/or understandings, overtly or covertly drafted, whether legally binding or not, that enable the entity to control the business decisions taken in the MSO/LCO, in ways as mentioned in (b) (i) (ii) and (iii) above.*

For this purpose:

- (i) The definitions of 'associated company', 'subsidiary' and 'relatives' are as given in the Companies Act 2013.
- (ii) An 'entity' means individuals, group of individuals, companies, firms, trusts, societies and undertakings.

Previously, the Authority also recommended the following restrictions on 'control' by an entity over many MSOs/LCOs for gaining market dominance:

- (a) *If an entity 'control' many MSOs/LCOs simultaneously in the relevant market, these MSOs/*

प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 सेबी विनियमों, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित और नियंत्रित और समूह की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने 2013 में सिफारिश की थी कि एक इकाई को नियंत्रण कहा जाता है। एक एमएसओ/एलसीओ और उसके द्वारा लिये गये व्यवसायिक निर्णय, यदि इकाई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी कंपनियों और/या रिश्तेदारों के माध्यम से।'

(ए) उस एमएसओ/एलसीओ की कुल शेयर पूंजी का कम से कम बीस प्रतिशत का मालिक है। एमएसओ (एस) में एक इकाई द्वारा अप्रत्यक्ष शेयरधारिता के मामले में, स्वामित्व की सीमा की गणना गुणक नियम का उपयोग करके की जायेगी। उदाहरण के लिए एक इकाई जो कंपनी ए में 30% इक्विटी का मालिक है जो बदले में कंपनी बी में 20% इक्विटी का मालिक है तो कंपनी बी में इकाई की अप्रत्यक्ष होल्डिंग की गणना 30% * 20% के रूप में की जाती है, जो कि 6% है, या

(बी) के माध्यम से कानूनी नियंत्रण का प्रयोग करता है।

- (i) एमएसओ/एलसीओ में कम से कम पचास प्रतिशत मतदान अधिकार होने या
- (ii) एमएसओ/एलसीओ में निदेशक मंडल के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों की नियुक्ति करना या
- (iii) एमएसओ/एलसीओ के रणनीतिक मामलों में निर्णय लेने और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति के माध्यम से प्रबंधन या मामलों को नियंत्रित करना या

(सी) समझौतों, अनुबंधों और/या समझ के लिए एक पक्ष होने के माध्यम से वास्तविक नियंत्रण का प्रयोग करता है जो खुले तौर पर या गुप्त रूप से तैयार किया जाता है, चाहे कानूनी रूप से बाध्यकारी हो या नहीं, जो इकाई को एमएसओ/एलसीओ में लिए गये व्यवसायिक निर्णयों को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। ऊपर (बी) (1) (2) और (3) में बताये गये तरीके इस उद्देश्य के लिए

- (i) 'संबद्ध कंपनी', सहायक और रिश्तेदारों की परिभाषायें कंपनी अधिनियम 2013 में दी गयी हैं
- (ii) एक इकाई का अर्थ है व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कंपनियां, फर्म ट्रस्ट, सोसाइटी और उपक्रम।

इससे पहले, प्राधिकरण ने बाजार प्रभुत्व हासिल करने के लिए कई एमएसओ/एलसीओ पर एक इकाई द्वारा नियंत्रण पर निम्नलिखित प्रतिबंधों की सिफारिश की थी:

(ए) यदि कोई संस्था प्रासंगिक बाजार में एक साथ कई एमएसओ/एलसीओ को नियंत्रित करती है तो इन एमएसओ/एलसीओ को परस्पर

CONSULTATION PAPER

LCOs shall be treated as interconnected entities and shall be treated as a single 'group'.

(b) *Any arrangement that results in 'control' of MSO(s)/LCO(s) in a relevant market by an entity shall require the prior approval of the regulator. The decision on any proposal, complete in all aspects, shall be conveyed within 90 working days.*

(c) *Such arrangements shall be approved provided the following two conditions are satisfied:*

- 1. Post acquiring 'control' the contribution of 'group' to the market HHI does not exceed 2500, and*
- 2. Depending on the value of the market HHI post acquiring 'control', any one of the following conditions is met:*

(i) *either post acquiring 'control', HHI of that market is less than 2000, or*

(ii) *in cases where post acquiring 'control' market HHI is between 2000 and 3300, the proposed M&A does not result in an increase in market HHI (delta) by more than 250 points, or*

(iii) *in cases where post acquiring 'control' market HHI is beyond 3300, the proposed M&A does not result in an increase in market HHI (delta) by more than 100 points.*

For calculating the increase in HHI (delta) as a result of formation or expansion of 'group' among MSO(s)/LCO(s) in the relevant market, the difference of the market HHI pre-'control' and post-'control' shall be taken. The combined market share of MSOs of a 'group' in the relevant market would be considered for calculating the HHI.

(d) *In the cases where any group's contribution to market HHI is more than 2500 in a relevant market as on the date of issue of guidelines, such legal entity/'group' shall take necessary remedial measures, within 12 months from the date of issue of guidelines, so as to limit its 'control' in various MSO(s)/LCO(s) in such a way that the contribution to market HHI of that 'group' reduces to less than or equal to 2500.*

TRAI has observed that the definition of 'control' in the Companies Act, 2013, is the general definition applicable for all companies, whereas definition of control in SEBI regulations is similar to the definition given under the Companies Act, 2013, but it is applicable to only listed companies. Any divergence from the said definitions would

जुड़ी हुई संस्थायें माना जायेगा और उन्हें एकल समूह के रूप में माना जायेगा।

(बी) कोई भी व्यवस्था जिसके परिणामस्वरूप किसी इकाई द्वारा संबंधित बाजार में एमएसओ/एलसीओ (ओं) का नियंत्रण होता है उसके लिए नियामक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। सभी पहलुओं में पूर्ण किसी भी प्रस्ताव पर निर्णय 90 कार्य दिवसों के भीतर सूचित किया जायेगा।

(सी) ऐसी व्यवस्थाओं को मंजूरी दी जायेगी बशर्ते निम्नलिखित दो शर्तें पूरी हों

1. नियंत्रण प्राप्त करने के बाद बाजार में समूह का योगदान एचएचआई 2500 से अधिक नहीं है और

2. नियंत्रण प्राप्त करने के बाद एचएचआई बाजार के मूल्य के आधार पर, निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है

(i) या तो नियंत्रण प्राप्त करने के बाद उस बाजार का एचएचआई 2000 से कम है या

(ii) ऐसे मामलों में जहां 2000 और 3300 के बीच नियंत्रण बाजार एचएचआई प्राप्त करने के बाद प्रस्तावित एमएंडए के परिणामस्वरूप बाजार एचएचआई (डेल्टा) में 250 अंकों से अधिक की वृद्धि नहीं होती है या

(iii) ऐसे मामलों में जहां नियंत्रण बाजार प्राप्त करने के बाद एचएचआई 3300 से अधिक है, प्रस्तावित एमएंडए के परिणामस्वरूप बाजार एचएचआई (डेल्टा) में 100 अंकों से अधिक की वृद्धि नहीं होती है।

प्रासंगिक बाजार में एमएसओ (एस)/एलसीओ (एस) के बीच 'समूह' के गठन या विस्तार के परिणामस्वरूप एचएचआई (डेल्टा) में वृद्धि के लिए गणना के लिए बाजार एचएचआई पूर्व नियंत्रण और बाद का अंतर नियंत्रण लिया जायेगा। एचएचआई की गणना के लिए संबंधित बाजार में एक समूह के एमएसओ की संयुक्त बाजार हिस्सेदारी पर विचार किया जायेगा।

(डी) ऐसे मामलों में जहां दिशा निर्देश जारी करने की तारीख के अनुसार संबंधित बाजार में एचएचआई के बाजार में किसी समूह का योगदान 2500 से अधिक है ऐसी कानूनी इकाई/समूह की तारीख से 12 महीने के भीतर आवश्यक उपचारात्मक उपाय करेंगे। दिशा-निर्देश जारी करना ताकि विभिन्न एमएसओ (एस)/एलसीओ (एस) में इसके नियंत्रण को इस तरह सीमित किया जा सके कि उस समूह के एचएचआई के बाजार में योगदान 2500 से कम या उसके बराबर हो।

ट्राई ने देखा है कि कंपनी अधिनियम 2013 में नियंत्रण की परिभाषा, सभी कंपनियों के लिए लागू सामान्य परिभाषा है, जबकि सेबी के नियमों में नियंत्रण की परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत दी गयी परिभाषा के समान है लेकिन यह लागू है केवल सूचीबद्ध कंपनियों के

create anomaly for the MSOs which are registered as companies under the Companies Act. For MSOs which are unlisted companies, they have to follow the definition of control given under the Companies Act, and for MSOs which are or which may later become listed companies, they would be bound by the provisions of the Companies Act and SEBI regulations.

It is however important to mention that different authorities have different perspective of looking at various aspects. Therefore, any attempt of TRAI to define 'control' will not have any implication or effect on the definition of 'control' prescribed by CCI.

As mentioned earlier, in terms of MIB Guidelines for the registration of MSOs, a MSO can be an individual (proprietorship), or body/association of individuals (which can be a partnership, a registered company or a registered society). In such cases, definition of a definition providing for controlling stake, voting rights, etc., may not fit MSOs, which are proprietorship or partnership, etc. In this case, one may opine that there is a need to either give exhaustive guidelines for different kinds of MSOs or the authority may restrict the ambit of its recommendations to certain kinds of MSOs such as registered companies or partnerships, etc.

DISCLOSURE AND REPORTING REQUIREMENTS

During the previous consultation process on this subject, the Authority also deliberated that what should be mandatorily disclosed by the MSO for effective monitoring and enforcing compliance of the restrictions with respect to market dominance, as well as determining the 'control'/concentration of different entities/companies in cable TV market. The parameters which had been proposed for disclosure include equity structure, shareholding pattern, FDI, shareholders agreements, loan agreements, interest of the entity in other companies engaged in TV distribution, interest of other companies in the cable TV entity, details of board of directors and key executives, subscribers served, revenue earned and area of operation. After due deliberation, the Authority recommended that the following information shall be disclosed by the MSOs on their website:

- Ownership pattern including foreign investment/joint venture details;*
- List of MSO(s)/LCOs, who are part of the 'group' in the relevant market;*

लिए। उक्त परिभाषा से कोई भी विचलन उन एमएसओ के लिए विसंगति पैदा करेगा जो कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। एमएसओ जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं, उन्हें कंपनी अधिनियम के तहत दी गयी नियंत्रण की परिभाषा का पालन करना होगा और एमएसओ के लिए जो बाद में सूचीबद्ध कंपनियां हैं या हो सकती है, वे कंपनी अधिनियम और सेवा नियमों के प्रावधानों से बाध्य होंगे।

हालांकि यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न पहलुओं को देखने के लिए विभिन्न अधिकारियों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। इसलिए 'नियंत्रण' को परिभाषित करने के द्राई के किसी भी प्रयास का सीसीआई द्वारा निर्धारित नियंत्रण की परिभाषा पर कोई प्रभाव या प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि एमएसओ के पंजीकरण के लिए एमआईवी दिशानिर्देशों के संदर्भ में एक एमएसओ एक व्यक्ति (स्वामित्व) या व्यक्तियों का निकाय/संघ (जो एक साझेदारी एक पंजीकृत कंपनी या एक पंजीकृत सोसाइटी हो सकता है) हो सकता है। ऐसे मामलों में हिस्सेदारी, वोटिंग अधिकार आदि को नियंत्रित करने वाली परिभाषा की परिभाषा एमएसओ के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, जो स्वामित्व या साझेदारी आदि है। इस मामले में कोई यह सोच सकता है कि या तो विभिन्न प्रकार के एमएसओ के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश देने की आवश्यकता है या प्राधिकरण अपनी सिफारिशों के दायरे को कुछ प्रकार के एमएसओ जैसे पंजीकृत कंपनियों तक सीमित कर सकता है या साझेदारी आदि।

प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकतायें

इस विषय पर पिछली परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राधिकरण ने यह भी विचार किया है कि प्रभावी निगरानी और बाजार प्रभुत्व के संबंध में प्रतिबंधों के अनुपालन को लागू करने के साथ-साथ केवल टीवी बाजार में कंपनियां विभिन्न संस्थाओं के नियंत्रण/एकाग्रता का निर्धारण करने के लिए एमएसओ द्वारा अनिवार्य रूप से क्या खुलासा किया जाना चाहिए। प्रकटीकरण के लिए जिन मानदंडों का प्रस्ताव किया गया था उनमें इक्विटी संरचना, श्रेयधारिता पैटर्न, एफडीआई, श्रेयधारकों के समझौते, ऋण समझौते, टीवी वितरण में लगी अन्य कंपनियों में इकाई का हित, केवल टीवी इकाई में अन्य कंपनियों का हित, निदेशक मंडल और प्रमुख कार्यपालक, सेवा देने वाले ग्राहक, अर्जित राजस्व और संचालन के क्षेत्र का विवरण शामिल है। उचित विचार-विमर्श के बाद प्राधिकरण ने सिफारिश की कि एमएसओ द्वारा अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी का खुलासा किया जायेगा:

- ए. विदेशी निवेश/संयुक्त उद्यम विवरण सहित स्वामित्व पैटर्न,*
- बी. एमएसओ/एलसीओ की सूची, जो संबंधित बाजार में समूह का हिस्सा है,*

CONSULTATION PAPER

- c. *Details of Chairman, Directors in the Board, CEO and CFO;*
- d. *State-wise geographical area coverage details.*
- I. *The following information shall be provided by the MSOs annually to MIB and TRAI:*
- a. *Share-holding pattern including foreign investment/ joint venture details as per instructions issued from time to time. Changes, if any, in the share-holding pattern during the reporting period, shall be reported within 30 days of such changes;*
- b. *Copy of shareholders agreements, loan agreements, contracts and/or understandings (once and subsequently for the changes);*
- c. *The details of MSO(s)/LCOs who are part of the 'group';*
- d. *Interests of the entity(ies) which controls the 'group' of MSOs/ LCOs in the relevant market;*
- e. *Details of Chairman, Directors in the Board, CEO and CFO;*
- f. *State-wise geographical area coverage details.*
- II. *State-wise number of active subscribers will be provided by the MSOs to MIB and TRAI on quarterly basis.*

MIB in its back reference dated 19.02.2021 has asked TRAI about the competitive practices that would be monitored by TRAI and Government and how these should be monitored. Relevant para of the reference is reproduced below:

"It may be stated that what competitive practices would be monitored by TRAI and Government level and also how these will be monitored;"

RESTRICTIONS ON VERTICAL INTEGRATION:

The objective of TRAI is to ensure that the broadcast and distribution sector is free and able to provide, from a wide range of sources, factual news and information to the consumers. Ownership and control must not be allowed in any way to restrict this. Vertical integration of broadcasters with DPOs, can restrict horizontal competition.

TRAI had earlier in its recommendation on Issues related to New DTH Licenses dated 23rd July 2021 recommended that Broadcasters and DPOs should be separate legal entities and rationalized and regulated vertical integration may be permitted between broadcasters and

सी. अध्यक्ष, बोर्ड में निदेशकों, सीईओ और सीएफओ का विवरण
डी. राज्यवार भौगोलिक क्षेत्र कवरेज का विवरण।

1. एमएसओ द्वारा वार्षिक रूप से एमआईवी और ट्राई को निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जायेगी

ए. समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार विदेशी निवेश/संयुक्त उपक्रम विवरण सहित शेयर होल्डिंग पैटर्न। समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरधारिता पैटर्न में परिवर्तन, यदि कोई हो तो, ऐसे परिवर्तनों के 30 दिनों के भीतर सूचित किया जायेगा।

बी. शेयरधारकों के समझौतों, अनुबंधों और/या समझ की प्रतिलिपि (एक बार और बाद में परिवर्तन के लिए)

सी. एमएसओ/एलसीओ के विवरण जो समूह का हिस्सा है
डी. संबंधित बाजार में एमएसओ/एलसीओ के समूह को नियंत्रित करने वाली इकाई(यों) के हित में,

ई. अध्यक्ष, बोर्ड में निदेशकों, सीईओ और सीएफओ का विवरण

एफ. राज्यवार भौगोलिक क्षेत्र कवरेज का विवरण।

2. एमएसओ द्वारा एमआईवी और ट्राई को तिमाही आधार पर सक्रिय ग्राहकों की राज्यवार संख्या प्रदान की जायेगी।

एमआईवी ने अपने बैक रेफरेंस दिनांक 19.02.2021 में ट्राई से उन प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के बारे में पूछा है जिन पर ट्राई और सरकार द्वारा निगरानी की जायेगी और इनकी निगरानी कैसे की जानी चाहिए। रेफरेंस का प्रासंगिक पैरा नीचे दिया गया है।

'यह कहा जा सकता है कि ट्राई और सरकार के स्तर पर किन प्रतिस्पर्धी प्रथाओं की निगरानी की जायेगी और यह भी कि उनकी निगरानी कैसे की जायेगी।'

वर्टिकल एकीकरण पर प्रतिबंध

ट्राई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रसारण और वितरण क्षेत्र स्वतंत्र है और उपभोक्ताओं को व्यापक स्रोत, तथ्यात्मक समाचार और सूचना प्रदान करने में सक्षम है। इसे प्रतिबंधित करने के लिए किसी भी तरह से स्वामित्व और नियंत्रण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। डीपीओ के साथ प्रसारकों का वर्टिकल एकीकरण हॉरिजांटल प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित कर सकता है।

ट्राई ने पहले 23 जुलाई 2021 को नये डीटीएच लाइसेंस से संबंधित मुद्दों पर अपनी सिफारिश में सिफारिश की थी कि प्रसारकों और डीपीओ अलग कानूनी संस्थायें होनी चाहिए और प्रसारकों व डीपीओ के बीच वर्तमान

DPOs. In addition, TRAI had also recommended that vertically integrated broadcaster or DPO, as the case may be, shall be subjected to an additional set of regulations vis-à-vis the non-vertically integrated broadcasters and DPOs.

The issue of vertical integration may be discussed in detail by TRAI in a separate consultation paper.

RESTRICTIONS ON HORIZONTAL INTEGRATION:

As mentioned earlier also, in the TV channel distribution market, presently, the genuine competition is between the DTH and cable TV categories. In the existing DTH guidelines, restrictions have been prescribed for a licensee for not holding equity beyond the specified threshold in a cable network company (cable sector DPO) and vice versa. However, as these restrictions were placed on the companies, these were being circumvented. Similarly, in the HITS policy guidelines, restrictions have been specified for the HITS player for holding equity in a DTH company, beyond a threshold. Therefore, in order to make them effective, in letter and spirit, the restrictions should be prescribed based on entities controlling these operations. The meaning of an entity has already been defined in the definition of "control". There cannot be a common entity controlling a DTH operator and a MSO/HITS operator. However, as discussed earlier, MSO and HITS operators can have common control. Accordingly, the Authority recommended that any entity controlling a DPO or the DPO itself should not "control" any DPO of other category. However, MSOs and HITS operators can have cross-holding/"control" amongst them, subject to market share restrictions, as specified from time to time. ■

और विनियमित वर्टिकल एकीकरण की अनुमति दी जा सकती है। इसके अलावा ट्राई ने यह भी सिफारिश की थी कि वर्टिकल एकीकरण प्रसारक या डीपीओ, जैसा भी मामला हो, गैर-वर्टिकल एकीकरण प्रसारकों व डीपीओ के साथ-साथ नियमों के एक अतिरिक्त सेट के अधीन होगा।

एक अलग परामर्श पत्र में ट्राई द्वारा वर्टिकल एकीकरण के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है।

हॉरिजॉन्टल एकीकरण पर प्रतिबंध

जैसाकि पहले भी उल्लेख किया गया है, टीवी चैनल वितरण बाजार में वर्तमान में वास्तविक प्रतिस्पर्धा डीटीएच और केबल टीवी श्रेणियों के बीच है। मौजूदा डीटीएच दिशा निर्देशों में, एक केवल नेटवर्क कंपनी (केबल सेक्टर डीपीओ) और इसके विपरित में निर्दिष्ट सीमा से अधिक इक्विटी नहीं रखने के लिए लाइसेंसधारकों के लिए प्रतिबंध निर्धारित किये गये हैं। हालांकि चूंकि ये प्रतिबंध कंपनियों पर लगाये गये थे, इसलिए इन्हें दरकिनारा किया जा रहा था। इसी तरह, हिट्स नीति दिशानिर्देशों में, एक डीटीएच कंपनी में एक सीमा से अधिक इक्विटी रखने के लिए हिट्स कंपनियों के लिए प्रतिबंध निर्दिष्ट किये गये हैं। इसलिए, उन्हें प्रभावी बनाने के लिए अक्षर और भावना में इन कार्यों को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं के आधार पर प्रतिबंध निर्धारित किये जाने चाहिए। एक इकाई का अर्थ नियंत्रण की परिभाषा में पहले ही परिभाषित किया जा चुका है। डीटीएच ऑपरेटर और एमएसओ/हिट्स ऑपरेटर को नियंत्रित करने वाली एक सामान्य इकाई नहीं हो सकती है। हालांकि जैसाकि पहले चर्चा की गयी है एमएसओ और हिट्स ऑपरेटरों का सामान्य नियंत्रण हो सकता है। तदनुसार प्राधिकरण ने सिफारिश की कि डीपीओ या डीपीओ को नियंत्रित करने वाली किसी भी इकाई को अन्य श्रेणी के किसी भी डीपीओ को 'नियंत्रित' नहीं करना चाहिए। हालांकि समय-समय पर निर्दिष्ट बाजार हिस्सेदारी प्रतिबंधों के अधीन, एमएसओ और हिट्स ऑपरेटरों के बीच क्रॉस होल्डिंग/नियंत्रण हो सकता है। ■

**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE
CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**



**... You Know What You Are Doing
But Nobody Else Does**

ADVERTISE NOW !

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com